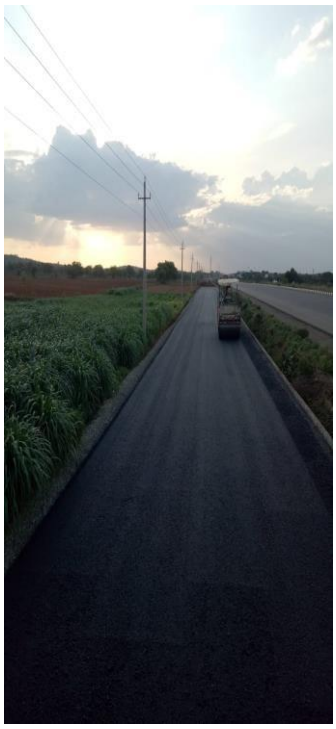

2019-20 वार्षिक रिपोर्ट

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन:U45500DL2017GOI317401

विषयवस्तु

इरकॉन डीएचएचएल का परिचय	**2**
निदेशक मंडल	**3**
संदर्भ सूचना	**4**
इक्विटी एवं ऋण विवरण	**5**
अध्यक्ष का संबोधन	6-7
निदेशक की रिपोर्ट और इसके परिशिष्ट	
निदेशक की रिपोर्ट	8-21
प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	22-26
वार्षिक रिटर्न का सार (फॉर्म सं. एमजीटी-9)	27-36
निगमित शासन रिपोर्ट	37-49
संबंधित पक्ष संव्यवहार (फॉर्म सं. एओसी-2)	50-51
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	52-57
वित्तीय विवरण:	**58**
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	59-78
तुलन पत्र	79
लाभ एवं हानि विवरण	80
रोकड़ प्रवाह विवरण	81
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	82
वित्तीय विवरणों के नोट	83-154
सीएएजी की टिप्पणियां और प्रबंधन का उत्तर	155-159

इरकॉनडीएचएचएल का परिचय

“इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाना के लिए दिनांक 19 जून, 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु दिनांक 11 मई, 2017 को विशेष कार्य योजना (एसपीवी) के रूप में किया गया था”

निदेशक मंडल

अंशकालीन (नामिती) निदेशक
[दिनांक 31.03.2020 को]

श्री राजेन्द्र सिंह यादव
निदेशक

श्री सुरजीत दत्ता
निदेशक

श्री श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष

श्री अशोक कुमार गोयल
निदेशक

श्री बसंत कुमार
निदेशक

संदर्भ सूचना

- **मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)**
  श्री नगनगौडा हनुमंथगौडा पाटिल
- **मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)**
  सुश्री कृतिका गुप्ता
  दिनांक 20.11.2018 से 31.03.2020 तक
  सुश्री रचना तोमर
  दिनांक 31.03.2020 से
- **कंपनी सचिव (सीएस)**
  सुश्री पूजा रस्तोगी

- **सांविधिक लेखापरीक्षक**
  सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
- **सचिवीय लेखापरीक्षक**
  सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स
- **लागत लेखापरीक्षक**
  रवी साहनी एंड कंपनी
- **आंतरिक लेखापरीक्षक**
  वी एंड एम अरोड़ा एंड कंपनी

- **कंपनी के ईपीसी ठेकेदार**
  इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
- **कंपनी के बैंकर**
  इंडियन ओवरसीस बैंक
- **पंजीकृत कार्यालय**
  सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
  नई दिल्ली-110017
- **सम्पर्क विवरण**
  कंपनी सचिव
  ई मेल आईडी: ircondhhl@gmail.com
  दूरभाष:011-26545786

इक्विटी एवं ऋण पूंजी का विवरण

[31.03.2020 को]

विवरण	धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से स्वीकृत/अनुमोदित निवेश	आहरित राशि (31.03.2020 को)
1. इक्विटी शेयर पूंजी	217.05 करोड़ रूपए	164.05 करोड़ रूपए
2. रक्षित ऋण (कर्ज)	503.00 करोड़ रूपए	269.22 करोड़ रूपए

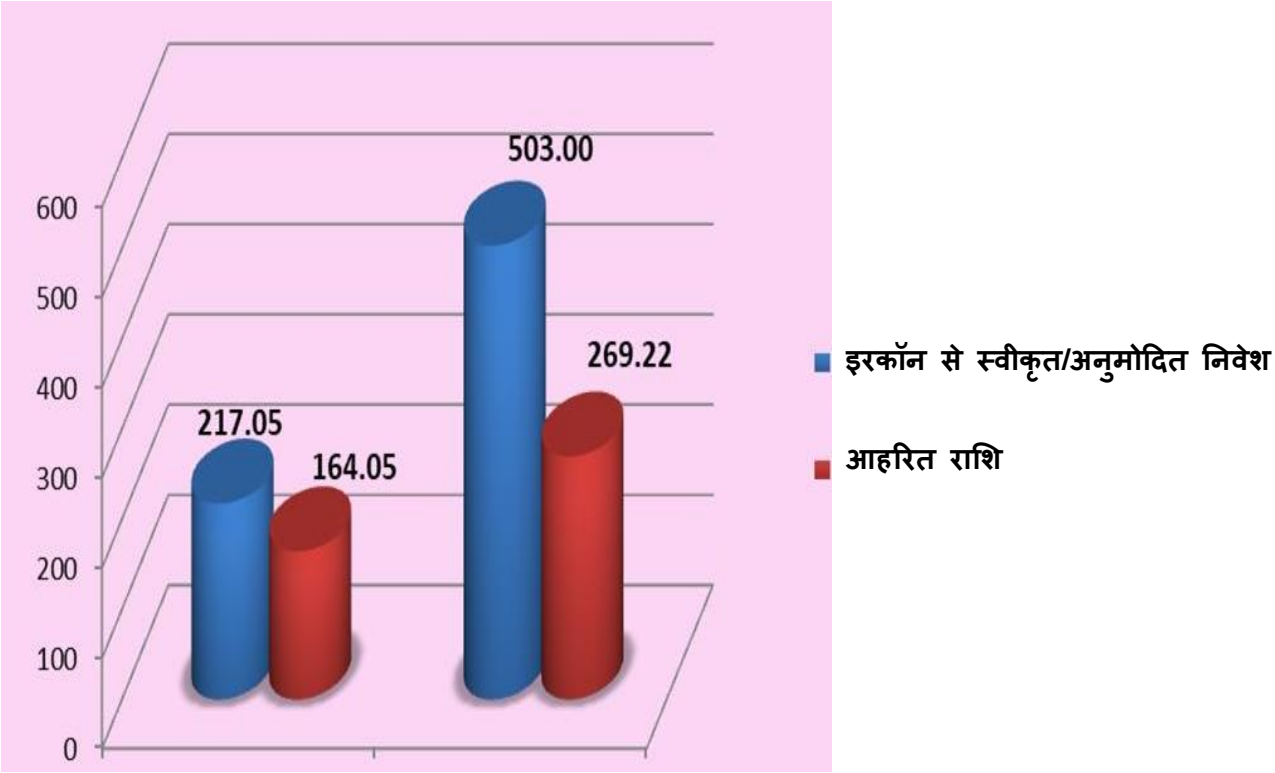

इक्विटी शेयर पूंजी रक्षित ऋण (कर्ज)

अध्यक्ष का संबोधन

दिनांक 25.09.2020 को आयोजित तीसरी (3) वार्षिक साधारण बैठक में

प्रिय शेयरधारकों

आरंभ में कृपया आपके व आपके प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। मुझे कंपनी की तीसरी वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।

मैं आपके समक्ष इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड की कुछ विशेषताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमाग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल) को दिनांक 19 जून, 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे हवेरी को छह लेन का बनाने की परियोजना के निष्पादन हेतु दिनांक 11 मई, 2017 को इसकी धारक कंपनी - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") द्वारा विशेष कार्य व्यवस्था के रूप में निगमित किया गया है। परियोजना की रियायत अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 912 दिनों की परियोजना निर्माण अवधि शामिल नहीं है।

इस परियोजना की कुल परियोजना निष्पादन लागत 1177.00 करोड़ रूपए जमा मूल्य संवर्धन है, जिसमें 40% परियोजना लागत की प्रतिपूर्ति एनएचएआई द्वारा की जाएगी और 60% लागत को एसपीवी द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। तदनुसार, आपकी कंपनी 720.05 करोड़ रुपये की परियोजना निर्माण लागत का वित्तपोषण करेगी, जिसमें इक्विटी और ऋण निवेश के माध्यम से क्रमश: 217.05 करोड़ रूपए और 503.00 करोड़ रूपए का निवेश किए जाएगा। दिनांक

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु, आरंभिक निवेश और तत्पश्चात, राइट्स इश्यु के माध्यम से इरकॉन द्वारा 164.05 करोड़ रूपए की इक्विटी पूंजी निवेश की गई है और इरकॉन से 269.22 करोड़ रूपए का ऋण प्राप्त किया गया है। परियोजना समापन की अनुसूचित तिथि 24.07.2020 थी, जिसे अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी के कारण तीन महीनों यथा 24.10.2020 तक बढा दिया गया है।
दिनांक 31 मार्च 2020 तक, कंपनी ने रियायत करार में शामिल कार्यक्षेत्र के प्रति कुल भौतिक प्रगति 66.77% और वित्तीय प्रगति 65.37% प्राप्त कर ली है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व से 39,283.50 लाख रूपए का प्रचालनिक टर्नओवर और 77.44 लाख रूपए का लाभ/(हानि) अर्जित किया था।

अनुपालन और प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत संबद्ध नियमों के तहत अनुपालन और प्रकटनों को पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

समझौता ज्ञापन (एमओये)

लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा आपकी कंपनी को धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट प्रदान की है।

आभारोक्ति

मैं निदेशक मंडल की ओर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और कंपनी के लेखापरीक्षकों के मूल्यवान सहयोग और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो कि हमारी मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समपर्ण, विवेक, कड़ी मेहनत और गहन मूल्य, कंपनी की प्रगति के प्रमुख तत्व हैं।

हम भावी प्रगति पथ हेतु उनके निरंतर सहयोग की कामना करते हैं।

कृते और की ओर से
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

ह/-
(श्याम लाल गुप्ता)
अध्यक्ष
डिन: 07598920

दिनांक: 25.09.2020
स्थान: नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट
वर्ष 2019-20

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और व्यावसायिक गतिविधियों सहित तीसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं : कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति

इरकॉन देवांगेरे-हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन दिनांक 11 मई, 2017 को विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में दिनांक 19 जून, 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाना के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए किया गया था। इस परियोजना की रियायत अवधि 15 वर्ष है, जिसमें दिनांक 24 जनवरी 2018 यथा नियुक्ति तिथि से आरंभ 912 दिन (30 माह) की निर्माण अवधि शामिल नहीं है और यह कार्य सभी उपलब्ध क्षेत्रों में प्रगति पर है। कार्य समापन की अनुसूचित तिथि 24.07.2020 है,जिसे दिनांक 24.10.2020 तक बढया गया है (कोविड-19 के प्रभाव के कारण 3 महीने हेतु)। कार्य के क्षेत्र में 78.923 किमी के मुख्य कैरेज-वे (राजमार्ग की कुल लंबाई), 154.654 किमी की सेवा सड़क लंबाई, जिसमें प्रमुख पुल, पुलिया, वाहनीय अंडरपास, पैदलपथ अंडरपास, फ्लाइओवर तथा अन्य संबद्ध कार्य शामिल हैं।

रियायत समझौते के संदर्भ में, कुल परियोजना बोली लागत 1177 करोड़ रूपए जमा मूल्यवृद्धि और और प्रथम वर्ष प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत 10 करोड़ रूपए है। परियोजना बोली की 40% की प्रतिपूर्ति प्रत्येक 8% की 5 किस्तों में निर्माण अवधि के दौरान एनएचएआई द्वारा की जाएगी (10%, 30%, 50%, 75% और 90%) भौतिक प्रगति प्राप्त करने पर) और निर्माण लागत के शेष 60% की व्यवस्था एसपीवी द्वारा की जाएगी। परियोजना बोली लागत के 40% की प्रतिपूर्ति पर विचार करने के बाद, 720.05 करोड़ (निर्माण के दौरान ब्याज सहित) की शेष निर्माण लागत का वित्तपोषण क्रमशः 217.05 करोड़ और 503 करोड़ की इक्विटी और ऋण निवेश द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है।

समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक निर्धारित तिथि से 180 दिनों के भीतर 100% दायित्व मुक्त भूमि सौंपने में विफल रहा है। 181वें दिन तक उपलब्ध कार्यक्षेत्र केवल 74% था। इसके बावजूद, परियोजना ने निर्धारित समय अवधि के भीतर (90 दिनों के उपचार अवधि के भीतर) 30% भौतिक प्रगति और 35% वित्तीय प्रगति के दूसरे परियोजना लक्ष्य को प्राप्त किया है और तीसरे परियोजना लक्ष्य यथा 75% भौतिक प्रगति और 70% वित्तीय प्रगति को दिनांक 03 फरवरी, 2020 को या उससे पहले प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है (90 दिनों की उपचार की अवधि)। दिनांक 31.01.2020 को उपलब्ध कार्यक्षेत्र के केवल 81.39% होने के कारण उक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका (एनएचएआई द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई भूमि पर काम के दायरे को छोड़कर और आंतरिक संरचनाओं हेतु मौजूदा/ निर्माणाधीन अतिरिक्त संरचनाओं और संशोधन हेतु स्थानीय निवासियों की मांग के कारण कार्य बंद रहो-18.61%)। दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक स्थल पर प्राप्त भौतिक प्रगति 62.83% है जो रियायत समझौते में शामिल कुल कार्यक्षेत्र के अनुसार है और यह 77.19% (62.83 / 0.8139) है, जब रियायतग्राही को उपलब्ध कार्यक्षेत्र की दृष्टि से परिकलित किया जाए। दिनांक 31.01.2020 को वित्तीय प्रगति 61.74% थी और एसपीवी के लिए उपलब्ध कार्यक्षेत्र के लिए यह 75.86% (61.74/0.8139) थी। दिनांक 31.01.2020 को समान भौतिक और वित्तीय प्रगति उपचार अवधि के भीतर तीसरी परियोजना लक्ष्य के अपेक्षाओं को पूरा करती है।

दिनांक 31 मार्च 2020 तक, रियायत समझौते में शामिल कुल कार्यक्षेत्र के प्रति कुल भौतिक प्रगति 66.77% और और वित्तीय प्रगति 65.37% प्राप्त की गई है। एनएचएआई द्वारा एसपीवी के लिए उपलब्ध कार्यक्षेत्र केवल 81.39% था। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक भूमि की अनुपलब्धता के कारण और स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों को रोकने के कारण प्रभावित कार्यों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन / डीलिंकिंग के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, इरकॉनडीएचएचएल ने 39,283.50 लाख रूपए का प्रचालनिक टर्नओवर और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 77.44 लाख रूपए का कर पश्चात लाभ/ हानि प्राप्त किया है।

720.05 करोड़ की परियोजना निर्माण लागत, को क्रमशः 217.05 करोड़ रूपए और 503.00 करोड़ रूपए के इक्विटी और ऋण निवेश द्वारा वित्तपोषित किया गया है, जिसमें से इरकॉन ने 31 मार्च 2020 को 164.05 करोड़ रूपए की इक्विटी सहायता और 269.22 करोड़ रूपए का ऋण प्रदान किया है।

वित्तीय विशेषताएं : कंपनी का वित्तीय निष्पादन:

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं, जो पूर्ववर्ती भारतीय सामान्यत स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) से अंतरित किए गए हैं। तदनुसार, इंड एएस के अनुपालन हेतु लेखांकन नीतियों को पुन:निर्धारित किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2020 को वित्तीय निष्पादन सूचक:

(राशि रूपए लाख में)

क्र .सं	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	16,405.00	10,405.00
2.	अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि और अतिरेक सहित)	354.82	277.38
3.	धारक कंपनी से ऋण (उधार)	26,922.00	13000.00
4.	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	0	0
5.	**कुल संपत्ति और देयताएं**		
6.	प्रचालन से राजस्व	39,283.50	31,270.32
7.	अन्य आय	113.66	170.13
8.	**कुल आय (6) + (7)**	39,397.16	31,440.45
9.	मूल्यह्रास, वित्तीय लागत, आपवादिक मदें और कर व्यय पूर्व लाभ/हानि	1871.01	574.90
10.	**कुल व्यय (9) + (10)**	39,284.67	31,114.52
11.	घटा: मूल्यह्रास	0.12	

12.	**वित्तीय लागत, आपवादिक मदें और कर व्यय पूर्व लाभ/(हानि)**	1871.01	574.90
13.	घटा: वित्तीय लागतें	1758.40	248.97
14.	**आपवादिक मदें और कर व्यय पूर्व लाभ/(हानि)**	112.49	325.93
15.	लाभ/(हानि): आपवादिक मदें	-	-
16.	कर व्यय पूर्व लाभ/हानि	112.49	325.93
17.	घटा: कर व्यय (चालू और आस्थिगित)	35.05	111.62
18.	**वर्ष हेतु लाभ/हानि (1)**	77.44	214.31
19.	अन्य वृहत आय (2)	-	-
20.	कुल (1+2)	77.44	214.31
21.	पूर्ववर्ती वर्षों के लिए लाभ/हानि का शेष	277.38	63.07
22.	घटा: डिबेंचर रिडेंप्शन आरक्षित निधि	-	-
23.	घटा : आरक्षित निधि में अंतरण	-	-
24.	घटा: **:** इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश	-	-
25.	घटा: **:** प्रफेरेंशियन शेयरों पर प्रदत्त लाभांश	-	-
26.	घटा**:** लाभांश संवितरण कर	-	-
27.	अग्रेणीत शेष	354.82	277.38

लाभांश और आरक्षित निधि का विनियोजन:

परियोजना की स्थिति के मद्देनजर जो निर्माणाधीन मोड में है, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एएस की अनुप्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधि को वित्तीय विवरणों में 'अन्य इक्विटी' के तहत प्रतिधारित आमदनी के रूप में परिलक्षित किया जाता है और आपकी कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2020 तक प्रतिधारित आमदनियों में 354.82 लाख रूपए की शेष राशि है।

31 मार्च 2020 को कंपनी की शेयर पूंजी :

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 217.05 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 21,70,50,000 इक्विटी शेयर और कंपनी की प्रदत्त, अंशदायी और शेयर पूंजी 164.05 करोड़ है जिसमें प्रति 10 रूपए के 16,40,50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि हुई है, जो दिनांक 15 जनवरी 2018 को असाधारण आम बैठक में 5 करोड़ रूपए से बढकर 217.05 करोड़ रूपए हो गई है।

कंपनी ने इस रिपोर्ट की तिथि तक राइट्स इश्यू के तहत कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी को 104.05 करोड रुपये से बढ़ाकर 164.05 करोड़ रुपये कर दिया है।

कंपनी के निगमन से अबतक राइट इश्यु का ब्यौरा निम्नानुसार है:

आवंटन की तिथि	आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या (प्रति शेयर 10 रूपए)	आवंटिती का नाम
05 अप्रैल, 2018	2,00,00,000	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)
16 अगस्त, 2018	3,40,00,000	
17 अक्तूबर, 2018	5,00,00,000	
19 सितंबर, 2019	6,00,00,000	

परियोजना से रोकड़ प्रवाह:

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से कुल रोकड़ प्रवाह रूपए **(18,191.28) लाख रूपए** है।

सहायक/संयुक्त उद्यम/ संबद्ध कंपनियों का विवरण:

आपकी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनी नहीं थी।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

कंपनी का प्रबंधन कंपनी के बोर्ड के रूप में पांच गैर-कार्यपालक नामिति निदेशकों की अध्यक्षता में है, जिनकी नियुक्ति आपकी कंपनी की धारक कंपनी द्वारा कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार की गई है: -

क्र.सं	निदेशक	नियुक्ति तिथि	डीआईएन
1.	श्री श्याम लाल गुप्ता, अंशकालीन अध्यक्ष	01.11.2019	07598920
2.	श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक	11.05.2017	05308809
3.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, निदेशक	27.01.2019	07752915
4.	श्री बसंत कुमार, निदेशक*	19.09.2019	08556555
5.	श्री सुरजीत दत्ता, निदेशक	05.09.2019	06687032

* दिनांक 31 जुलाई 2020 से श्री बंसत कुमार में निदेशक पद को पदमुक्त किया है।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

क्र.सं	कंपनी के प्रमुख कार्मिक	नियुक्ति तिथि	पेन न.
1.	श्री नगनगौडा पाटिल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (18.07.2018 को केएमपी नामित)	18.07.2018	BBZPP6530K
2.	सुश्री रचना तोमर, मुख्य वित्त अधिकारी (31.03.2020 को केएमपी नामित))	31.03.2020	AJCPB0588R
3.	सुश्री पूजा रस्तोगी, कंपनी सचिव (01.04.2019 को केएमपी नामित))	01.04.2019	BKHPR8220D

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में परिवर्तन:

वर्ष के दौरान, सुश्री अनुपन बेन और श्री आनंद कुमार सिंह कंपनी के निदेशक पद से क्रमश: दिनांक 30 अगस्त 2019 और 04 सितंबर 2019 को पदमुक्त हुए।

सुश्री दीपक सबलोक अपनी अधिवर्षिता के कारण दिनांक 31 अक्टूबर 2019 से अध्यक्ष और निदेशक पद से पदमुक्त हुए। बोर्ड उनके अमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए इसकी सराहना करता है।

श्री सुरजीत दत्ता और श्री बसंत कुमार को क्रमश: दिनांक 05 सितंबर 2019 और 19 सितंबर 2019 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-203 के अनुसरण में दिनांक 31 मार्च, 2020 को कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक में शामिल हैं-श्री नगनगौडा हनुमंथगौड़ा पाटिल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री रचना तोमर, मुख्य वित्तीय अधिकारी और सुश्री पूजा रस्तोगी, कंपनी सचिव। कंपनी ने सुश्री रचना तोमर को सुश्री कृतिका गुप्ता के स्थान पर दिनांक 31 मार्च, 2020 को मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

कंपनी अधिनियम, 2013, बोर्ड की बैठक और इसके अधिकार, नियम, 2014 और डीपीई (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) दिशानिर्देशों, 2010 के प्रावधानों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड की दस बैठकों का आयोजन किया गया है। बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे के लिए कृपया निगमित शासन रिपोर्ट का संदर्भ लें, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

बोर्ड की बैठकें दिनांक 08.04.2019, 20.05.2019, 29.07.2019, 23.08.2019, 19.09.2019, 16.10.2019, 24.10.2019, 18.12.2019, 27.01.2020 और 02.03.2020 को आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठक के बीच अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें निदेशक उपस्थित रहे:-

निदेशक का नाम	बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित
श्री दीपक सबलोक (31.10.2019 तक)	7/7
श्री श्याम लाल गुप्ता (01.11.2019 से)	3/3
श्री अशोक कुमार गोयल	10/10
श्री आनन्द कुमार सिंह (04.09.2019 तक)	4/4
श्री राजेन्द्र सिंह यादव (19.09.2019 तक तत्पश्चात 27.01.2020 से)	5/7
श्री बसंत कुमार (19.09.2019 से)	6/6
सुश्री अनुपम बेन (31.08.2019 तक)	4/4
श्री सुरजीत दत्ता (05.09.2019 से)	6/6

बोर्ड समितियां:

क्रमश: दिनांक 19 सितंबर, 2019 और 27 जनवरी, 2020 को समितियों का पुनर्गठन किया गया और दिनांक 02 मार्च, 2020 से इन्हें भंग कर दिया गया गया:

1. लेखापरीक्षा समिति

2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी को, निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 5 जुलाई 2017 और 13 जुलाई 2017 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड समितियों क्रमशः लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से छूट दी गई है।

निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण:

निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसरण में एतदद्वारा पुष्टि की जाती है कि:

क) दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे, जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत हो सके।

ग) परिसंपतियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) वार्षिक लेखे ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए हैं।

छ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) द्वारा घोषणा और पुनर्नियुक्ति:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर):

एमडीएआर **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

वार्षिक रिटर्न का सार:

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की नियम-12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा-93(3) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार इस रिपोर्ट का भाग है जो **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

निगमित शासान पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में **अनुबंध-ग** के रूप में शामिल किया गया है।

निदेशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (उनकी रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण:

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक:

मैसर्स सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएजी के दिनांक 09.08.2019 के पत्र सं.सीए/वी/सीओवाई/ केन्द्रीय सरकार/आईडीएचएचएल (I)699 के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के तहत लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है।

लागत लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने लागू नियमों / मार्गदर्शन नोट, इत्यादि के अनुसार कंपनी के लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार को नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षक:

मैसर्स सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था।

आतंरिक लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने मैसर्स वी.एम.अरोड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में को नियुक्त किया है।

अंतर-निगमित ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण (धारा 185 और 186):

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण:

संबंधित पक्षों के साथ वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन व्यापार के सामान्य क्रम में था और यह आर्म लैंथ आधार पर थे।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ किसी भी अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन में प्रवेश नहीं किया था, जिसे संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता पर कंपनी की नीति के अनुसार महत्वपूर्ण माना जा सकता है। एओसी- 2 में इसी को प्रस्तुत किया गया है जो इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-घ** पर संलग्न है।

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच के अंतराल में नहीं हुए थे।

राइट इश्यु :

आवंटन की तिथि	आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या (प्रत्येक 10 रूपए के)	आवंटिती का नाम
19 सितंबर 2019	6,00,00,000	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण निम्नानुसार है:

क. ऊर्जा का संरक्षण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए कंपनी के विवरण का प्रस्तुतिकरण हमारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि का निष्पादन नहीं कर रही है और इसलिए कंपनी के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना लागू नहीं है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और आउटगो: -

वर्ष 2019-20 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा आउटगो नहीं था।

जोखिम प्रबंधन:

कंपनी के पास अपनी गतिविधियों के अनुरूप सुदृढ व्यावसायिक जोखिम प्रबंधन ढांचा विद्यमान है, जो व्यापार के जोखिमों की पहचान करने में सक्षम है। बोर्ड की मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

कर्मचारियों के विवरण:

कंपनी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा-134(3) के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने प्रतिवर्ष 60 लाख रूपए या उससे अधिक, या प्रति माह 5 लाख रूपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सार्वजनिक जमा राशि:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियां (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा राशि को आमंत्रित नहीं किया है।

कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों न्यायालयों और अधिकरणों के महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश

कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा काई महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता संबंधी विवरण:

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों की जांच की गई थी और इसके अभिकल्प और प्रचालन में कोई महत्पपूर्ण तथ्यात्मक कमी नहीं देखी गई थी।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-22 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की गई।

सतर्कता तंत्र:

कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा-177(9) के प्रावधान सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित हैं जो कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

समझौता ज्ञापन:

लोक उपक्रम विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट प्रदान की है ।

कंपनी के बैंकर:

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) का शाखा कार्यालय : प्रथम तल, पालिका भवन, आर.के. पुरम, ब्लॉक बी, सेक्टर-13, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 में है, जो कंपनी के नाम पर चालू खाता, एस्क्रो खाता खोलने और सावधि जमा (एफडी) के रखरखाव के रूप में सेवाएं प्रदान करने के मामले में कंपनी का एकमात्र बैंकिंग साझेदार है।

आभारोक्ति:

आपके निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता और सहयोग हेतु, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ऋणदाताओं, व्यावसायिक एसोसिएट्स, कंपनी के लेखापरीक्षक और कंपनी के मूल्यवान ग्राहक- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कंपनी को दी गई मूल्यवान सहायता और सहयोग हेतु सहृदय आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिबद्ध सेवाओं के लिए भी उनकी प्रशंसा करते हैं।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : **नई दिल्ली**

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

औद्योगिक संरचना और विकास:

एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई अधिकतर राजमार्ग परियोजनाएं निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाएं या हाइब्राइड वार्षिकी (एचएएम) परियोजनाएं हैं।

हाइब्रिड वार्षिकी (एचएएम) परियोजनाएं निर्माण क्षेत्र में, विशेष रूप से पीपीपी मॉडल में सड़क क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं।

जैसाकि नाम से ही पता चलता है, यह ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण) मॉडल और बीओटी (निर्माण, प्रचालन और अंतरण) मॉडल, दोनों का मिश्रण (हाइब्राइड) है।

एचएएम हाइब्राइड - ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण) और बीओटी (निर्माण, प्रचालन और अंतरण) मॉडल का मिश्रण है। ईपीसी मॉडल के तहत, एनएचएआई सड़कों को बिछाने के लिए निजी पक्षों को भुगतान करता है। सड़क के स्वामित्व, टोल एकत्रण या अनुरक्षण में निजी पक्षों की कोई भूमिका नहीं होती है (यह सरकार के नियंत्रण में होता है)। एचएएम सड़क विकास के लिए बेहतर वित्तीय तंत्र की आवश्यकता से उत्पन्न हुआ। एचआरएम एक अच्छा व्यापार व्यवस्था है, जो विकासकर्ताओं और सरकार के बीच के जोखिम को बांटता है। बीओटी मॉडल के अंतर्गत, निजी पक्ष सामान्यत 20 वर्ष (निर्माण अवधि सहित) की निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्माण, रखरखाव और टोल एकत्रण की जिम्मेदारी लेते हैं। इन 20 वर्षों के दौरान, सभी टोल एकत्रण कार्य ठेकेदार द्वारा किए जाते हैं और उसका अनुरक्षण उसके ही द्वारा किया जाएगा। 20 वर्षों की समाप्ति के पश्चात, सड़क का स्वामित्व एनएचएआई को सौंप दिया जाता है। इस मॉडल में निजी पक्ष निर्माण अवधि के दौरान सम्पूर्ण धनराशि का निवेश करते हैं और टोल एकत्रण के माध्यम से इस राशि (ब्याज लागत सहित) की वसूली की उम्मीद करते हैं। निजी पक्ष को सदैव आरंभिक रोकड़ निर्गम प्रवाह के संबंध में जोखिम बना रहा है।

इस जोखिम और अनिश्चितता को दूर करने के लिए, बीओटी मॉडल वैकल्पिक रूप यथा बीओटी वार्षिकी मॉडल है। इस वार्षिकी मॉडल में, आम तौर पर एनएचएआई द्वारा टोल राजस्व जोखिम स्वयं लिया जाता है, जबकि ठेकेदार को सड़क निर्माण और अनुरक्षण के लिए पूर्व-निर्धारित वार्षिकी का भुगतान किया जाता है।

एचएएम विकासकर्ता और एनएचएआई के बीच जोखिमों को समाप्त करने के लिए मध्यवर्ती दृष्टिकोण है। केवल 60% निवेश करके, विकासकर्ता या रियायतग्राही कंपनी परियोजना निर्माण लागत और संबद्ध वित्तीय देनदारियों को वहन करने में सक्षम हो जाता है। वार्षिकी भुगतान अनुरक्षण अवधि के दौरान विकासकर्ता को स्थिर नकदी प्रवाह सुनिश्चित करता है।

शक्तियां व कमजोरियां:

शक्तियां:

- एमएएच मॉडल के तहत एनएचएआई की अवसंरचनात्मक परियोजनाएं आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित हैं;
- विकासकर्ता की वित्तीय तरलता और वित्तीय जोखिम सरकार द्वारा साझा किया जाता है;
- टोल राजस्व जोखिम प्राधिकरण यथा एनएचएआई द्वारा वहन किया जाता है और इस प्रकार विकासकर्ता राजमार्ग के निर्माण और अनुरक्षण पर ध्यान केन्द्रित कर पाता है।

कमजोरियों:

- प्रकृति में परिवर्तन की संभावना रहती है।
- राजमार्गों से संबंधित निर्माण परियोजनाओं में समय पर परिणाम उत्पादन करने में दक्षता के संबंध समस्याएं आती हैं।

अवसर और जोखिम:

अवसर:

वार्षिकी सड़क परियोजना में, कोई मांग जोखिम नहीं है और परियोजना एसपीवी को आम तौर पर एनएचएआई से एक निश्चित अर्ध-वार्षिक भुगतान मिलता है। इसमें वित्तीय सुरक्षा है जो स्थिरता और संबंधित लाभप्रदता प्रदान करती है।

जोखिम:

चूंकि एनएचएआई 40:60 के अनुपात में एचएएम परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है, इसलिए परियोजना के पूरा होने के लिए समय पर धन प्राप्त करने के लिए निधियों की कमी हो सकती है और वार्षिकी के भुगतान में देरी हो सकती है, जिससे चल निधि बेमेल और समय मूल्य हानि दोनों हो सकते हैं, जिससे समय पर सेवा ऋण की क्षमता प्रभावित होती है।

वित्तीय वर्ष 2020 निष्पादन परिदृश्य: वित्तीय

(रूपए लाख में)

विवरण		वित्तीय वर्ष 2019-20
I.	**राजस्व**:	
	प्रचालनों से राजस्व	39,283.50
	अन्य आय	113.66
	कुल राजस्व	39,397.16
II.	**व्यय**:	
	प्रचालनिक लागत	39,283.48
	अन्य व्यय	1.19
	कुल व्यय	39284.67
III.	**करपूर्व लाभ**	112.49
	कराधान हेतु प्रावधान	
	चालू/पूर्ववर्ती वर्ष कर/आस्थगित कर	35.05
IV.	**करपश्चात लाभ/(हानि)**	77.44
V.	**कुल वृहत आय (लाभ(हानि) एवं अन्य वृहत आय सहित)**	77.44

वित्तीय वर्ष 2020 निष्पादन परिदृश्य: भौतिक

खुदाई का कार्य (अर्थवर्क), एसजी, जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, डीबीएम बिछाने, मौजूदा बीटी सतह की मिलिंग, आरई वॉल और आरटी वॉल सहित बैक फिलिंग, प्रमुख पुलों की नीव और उपसंरचना, छोटे पुलों, फ्लाईओवर, वीडब्ल्यूपी, एलवीयूपी, पाइप और बॉक्स कल्वेट तथा आरसीसी निकासी का कार्य उपलब्ध क्षेत्रों में शामिल प्रगति पर है।

304+220 वीयूपी रीइन्फोर्समेंट कार्य प्रगति पर

304+220 VUP Reinforcement in Progress

325+233 आरएचएस छोटा पुल

325+233 RHS Minor Bridge

DBM Laying (Lane-2) at 329+500 LHS

329+500 एलएचएस पर डीबीएम बिछाना (लेन-2)

338+500Rhs PUP widening

338+500आरएचएस पीयूपी वाइडनिंग

वित्तीय वर्ष 2020 निष्पादन परिदृश्य: भौतिक

कंपनी ने कार्यपालक कार्यों, वित्तीय मामलों और अनिवार्य अनुपालनों व प्रकटनों के लिए धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और कंपनी द्वारा कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

फॉर्म सं.एमजीटी-9

अनुबंध– ख

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1	**सीआईएन**	U45500DL2017GOI317401
2	**पंजीकरण तिथि**	11 मई 2017
3	**कंपनी का नाम**	इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
4	**कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी**	सरकारी कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5	**पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा**	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
6	**कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध**	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7	**रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा**	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद/ सेवा का नाम और विवरण**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत**
1.	कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना रा.रा-4) पर राजमार्ग परियोजना निमर्ण की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	L45203DL1976GOI008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

* 100%: 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 08 नामितियों के पास हैं ।

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्य [01अप्रैल 2019 को]				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2020 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	शून्य	104050000	104050000	100%	शून्य	164050000	164050000	100%	57.66%
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-			-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-			-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-			-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	**शून्य**	**104050000**	**104050000**	**100%**	**शून्य**	**164050000**	**164050000**	**100%**	**57.66%**
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**104050000**	**104050000**	**100%**	**शून्य**	**164050000**	**164050000**	**100%**	**57.66%**

निकाय निगम: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 08 नामितियों के पास है।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में 1 अप्रैल 2019 को शेयरधारिता			वर्ष के आरंभ में 31 मार्च 2020 को शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋणयुक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड$	104050000	100%	शून्य	164050000	100%	शून्य	57.66%
	कुल	**104050000**	**100%**	**शून्य**	**164050000**	**100%**	**शून्य**	**57.66%**

प्रमोटरों की शेयरधारिता: कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 16,40,49,100 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है। अन्य 08 शेयरधारक **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से शेयरों को धारित कर रहे हैं।**

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र सं	विवरण		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में		104050000	100%	104050000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):					
	आवंटन तिथि	कारण				
	19.09.2019*	राइट इश्यु	60000000	100%	164050000	100%
3.	वर्ष के अंत में		164050000	100%	164050000	100%

घ) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं।			
	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
	वर्ष के अंत में				

ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

निदेशक(निदेशकों) का नाम #	प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	31 मार्च 2019 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		31 मार्च 2020 के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
	वर्ष के अंत में				

**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से कंपनी के निदेशकों यथा श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा प्रति 10 रूपए के 200 इक्विटी शेयर धारित हैं और श्री श्याम लाला गुप्ता, श्री सुरजीत दत्ता, श्री राजेन्द्र सिंह यादव और श्री बसंत रकुमार, द्वारा प्रति 10 रूपए के 100 शेयर धारित हैं।*

च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	जमा राशियों सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता		-	-	
i) मूल राशि	130,00,00,000			130,00,00,000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-			-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-			-
कुल (i+ii+iii)	शून्य			
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	139,22,00,000	-	-	139,22,00,000
* आवर्धन	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	शून्य			
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	26,922,00,000			26,922,00,000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-			-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-			-
कुल (i+ii+iii)	26,922,00,000			

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण @	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन		
	1. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		

	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	**लागू नहीं**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	
2.	स्टॉक ऑप्शन	
3.	स्वीट क्विटी	
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं…	
5.	अन्य, कृपया बताएं	
	कुल (क) $	
	अधिनियम के अनुसार सीमा	

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण @**	**निदेशकों का नाम**	**कुल राशि**
		लागू नहीं	
1	स्वतंत्र निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (2)		
	कुल (ख)=(1+2) $		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग		

@ इरकॉन डीएचएचएल में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पांच गैर कार्यपालक (नामिति) निदेशक कंपनी के बोर्ड में हैं जो बैठक शुल्क या कमिशन के रूप में शुन्य पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण #	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ#	**सीएस**	**सीएफओ**	**कुल**
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	10,57,581	4,23,093	12,26,700	27,07,374
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3	स्वीट क्विटी	-	-	-	-
4	कमिशन				
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य, बताएं...	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं				
	-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीआरपी)		-	1,29,082	1,29,082
	-सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, भविष्य निधि)	1,29,910	50,774	3,25,078	5,05,762
	कुल	**11,87,491**	**4,73,867**	**16,80,860**	**33,42,218**

VI. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा**	**प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)**
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
कंपाउंडिंग					

*कंपनी अधिनियम 2013 के 179 (3) के साथ पढ़े गए धारा-177 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति से संबंधित प्रपत्र एमजीटी-14 को निर्धारित समय में दायर नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि देरी के लिए क्षमा याचिका पत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 में फॉर्म सीजी-1 में दायर किया गया था।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-ग

निगमित शासन रिपोर्ट

निगमित शासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) एक नैतिकतापूर्ण व्यवसायिक प्रक्रिया है, जो एक संगठन की धन सृजन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्यों की प्रतिबद्ध है। सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी **"कॉर्पोरेट प्रशासन के उपायों"** के पालन पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि कुशल व्यावसायिक कार्यप्रणाल को अपनाया जा सके और संव्यवहारों में पारदर्शिता को प्रभावी बनाया जा सके। हमारा कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा हमारे प्रबंधन और हमारे हितधारकों के साथ प्रभावी संबंधों को सुनिश्चित करता है और इस परिवर्तनशील समय के साथ विकसित होने में हमारी मदद करता है।

1. कंपनी का दर्शन और शासन

इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसने अपने गठन से ही अपने सत्यनिष्ठा, निर्णय निर्धारण, जवाबदेही, उपयुक्त प्रकटन और अनुपालन, पारदर्शिता का अनुपालन करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। विविध सांविधिक प्राधिकरणों को समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और निगमित प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अपनाई गई हैं और उन्हें निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा धारक कंपनी, इरकॉन की तर्ज पर निगमित कार्य और शासन तंत्रों के प्रबंधन के लिए कार्मिकों के मध्य क्रियात्मक आधारित भूमिकाएं सौंपी हैं।

कंपनी के शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुशासन का अनुसरण किया जा रहा है।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचना:-

कंपनी के संगम अनुच्छेद (एओए) के अनुच्छेद-54 के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 तक हमारे बोर्ड में पाँच सदस्य शामिल थे, जिसमें सभी निदेशक धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) द्वारा नियुक्त किए गए थे, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है : -

क्र.सं	निदेशक	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	कार्यमुक्ति की तिथि
1.	श्री श्याम लाल गुप्ता *[डिन 07598920]*	अंशकालीन अध्यक्ष	01.11.2019	-
2.	श्री दीपक सबलोक *[डिन 03056457]*	अंशकालीन अध्यक्ष	11.05.2017	31.10.2019
3.	श्री अशोक कुमार गोयल *[डिन05308809]*	अंशकालीन निदेशक	11.05.2017	-
4.	श्री आनन्द कुमार सिंह *[[डिन 07018776]*	अंशकालीन निदेशक	11.05.2017	04.09.2019
5.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव *[डिन 07752915]*	अंशकालीन निदेशक	11.05.2017	19.09.2019
			27.01.2020	-
6.	श्री बसंत कुमार *[डिन 08556555]*	अंशकालीन निदेशक	19.09.2019	-
7.	श्री सुरजीत दत्ता *[[डिन 06687032]*	अंशकालीन निदेशक	05.09.2019	-
8.	सुश्री अनुपम बेन *[[डिन 07797026]*	अंशकालीन निदेशक	11.05.2017	30.08.2019

2.2 बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकों का आयोजन लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (बोर्ड की बैठक और उनकी शक्तियां) नियमों, 2014 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। विशिष्ट तत्काल आवश्यकता के अनुसार बैठकों को कभी-कभी अल्प सूचना पर भी बुलाया जाता है। आपात स्थितियों या तात्कालिकता के मामले में, परिपत्रण द्वारा भी संकल्प पारित किए जाते हैं। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, दस (10) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। पहली बैठक दिनांक 8 अप्रैल, 2019 को हुई थी और तत्पश्चात बैठकें दिनांक 2 मई, 29 जुलाई, 23 अगस्त, 19 सितंबर, 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 18 दिसंबर, 2019, 27 जनवरी, 2 मार्च, 2020 को आयोजित की गईं थीं। इस अवधि के दौरान किसी भी दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 88 दिन था।

नीचे दी गई तालिका में बोर्ड की बैठकों की संख्या दर्शाई गई है, जिसमें उपस्थित निदेशकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित दर्शाई गई है। यह तालिका वर्ष 2019-20 के दौरान उनके द्वारा धारित अन्य निदेशक पद/ समिति सदस्यताओं को भी दिखाती है:

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशकों के कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	एजीएम में उपस्थिति (26.08.2019 को आयोजित)	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद	अन्य सार्वजनिक समितियों में समिति पदों की संख्या	
					अध्यक्ष	सदस्य
श्री श्याम लाल गुप्ता (01.11.2019 से)	3	3	लागू नहीं	**8** [इरकॉन, सीईडब्ल्यूआरएल, सीईआरएल, एमसीआरएल, इरकॉन पीबीटीएल, बीआरपीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन वीकेईएल]	**-**	**3**
श्री दीपक सबलोक (31.10.2019 से)	7	7	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री अशोक कुमार गोयल	10	10	हां	**5** [आईएसटीपीएल, इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन वीकेईएल]	**3**	**2**
श्री आनन्द कुमार सिंह (04.09.2019 से)	4	4	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (19.09.2019 से तत्पश्चात 27.01.2020 से)	7	5	हां	**3 [इरकॉनपीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल तथा इरकॉन वीकेईएल]**	**-**	**1**
सुश्री अनुपम बेन (30.08.2019 से)	4	4	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री बसंत कुमार (19.09.2019 से)	6	6	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री सुरजीत दत्ता (05.09.2019 से)	6	6	लागू नहीं	**3 [इरकॉन आईएसएल, इरकॉन एसजीटीएल तथा इरकॉन वीकेईएल]**	**1**	**2**

टिप्पणियाँ:

1. सुश्री अनुपम बेन दिनांक 30.08.2019 से कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त हुईं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से नामित शेयरधारक के रूप में उनके द्वारा धारित 100 शेयरों को श्री बसंत कुमार को प्रष्ठांकित किया गया है।

   (श्री बसंत कुमार दिनांक 31.07.2020 से कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त हुईं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से नामित शेयरधारक के रूप में उनके द्वारा धारित 100 शेयरों को श्री बी मुगंथन को प्रष्ठांकित किया गया है)।
2. श्री आनंद कुमार सिंह, दिनांक 04.09.2019 से कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त हुईं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से नामित शेयरधारक के रूप में उनके द्वारा धारित 100 शेयरों को श्री सुरजीत दत्ता को प्रष्ठांकित किया गया है।
3. श्री दीपक सबलोक दिनांक 31.10.2019 से कंपनी में अध्यक्ष एवं निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों (जिसमें से अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं) की अधिकतम सीमा के भीतर है।

5. निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

6. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई विशिष्ट संबंध या लेन-देन नहीं है।

7. निदेशक पद/समिति की सदस्यता संबंधी सूचना निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है।

8. सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा समितियों के सदस्यों पर विचार किया गया है।

9. डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की संख्या पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना की जानी है।

10. कंपनियों के पूर्ण नाम निम्नानुसार विनिर्दिष्ट:

    क) इरकॉन - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

    ख) इरकॉनआईएसएल - इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड

    ग) आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड

    घ) इरकॉनपीबीटीएल - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

    ड.) इरकॉनएसजीटीएल - इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

    च) सीईआरएल - छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड

    छ) सीईडब्ल्यूआरएल - छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड

    ज) एमसीआरएल - महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

    झ) इरकॉनवीकेईएलल - इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

    ट) इरकॉनडीएचएचएल - इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

    ड) बीआरपीएल - बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड

3. बोर्ड की समितियां

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में बोड की दो समितियां थीं: लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति।

3.1 संरचना:

दिनांक 02 मार्च, 2020 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

निदेशक का नाम	लेखापरीक्षा समिति	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
श्री राजेन्द्र सिंह यादव (27.01.2020 से)	सदस्य	अध्यक्ष
श्री बसंत कुमार (19.09.2020 से)	सदस्य	सदस्य
श्री सुरजीत दत्ता (19.09.2020 से)	अध्यक्ष	सदस्य

कंपनी सचिव इन समितियों के सचिव हैं।

नोट: दिनांक 19 सितंबर, 2019 और 27 जनवरी, 2020 को समितियों का पुनर्गठन किया गया और 02 मार्च, 2020 से इन्हें भंग कर दिया गया।

3.2 बैठकें और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की छह (6) बैठकें आयोजित की गईं और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। पहली बैठक दिनांक 2 मई, 2019 और तत्पश्चात बैठकें क्रमशः दिनांक 29 जुलाई, 23 अगस्त, 24 अक्टूबर, 18 दिसंबर, 2019 और 27 जनवरी, 2020 को आयोजित की गईं। सदस्यों द्वारा भाग लेने वाली लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

समिति के सदस्य	लेखापरीक्षा समिति	
	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठक	**बैठकों में शामिल**
श्री अशोक कुमार गोयल (27.01.2020 तक)	**6**	**6**
श्री आनन्द कुमार सिंह (अध्यक्ष: 18.07.2018 से 04.09.2019)	**3**	**3**
सुश्री अनुपम बेन (सदस्य : 18.07.2018 से 30.08.2019)	**3**	**3**
श्री राजेन्द्र सिंह यादव (18.07.2018 से 19.09.2019 तत्पश्चात 27.01.2020 से)	**3**	**2**
श्री बसंत कुमार (19.09.2019 से)	**3**	**3**
श्री सुरजीत दत्ता (19.09.2019 से)	**3**	**3**

4. निदेशकों का पारिश्रमिक:

कोई भी निदेशक कंपनी से बैठक में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक और बैठक नहीं लेता है।

5. सामान्य बैठकें:

पारित विशेष संकल्प सहित पिछली तीन आम बैठकें की दिनांक, समय और स्थान का विवरण निम्नानुसार हैं:

5. साधारण बैठकें:

पिछले दो वर्षों के दौरान शेयरधाराकों की बैठकों का ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

वित्तीय वर्ष	बैठक की तारीख	समय	स्थान/ स्थल	विशेष कार्य
2017-18 (प्रथम ईजीएम)	1 जुलाई,2017	1500 बजे	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	• कंपनी के संगम अनुच्छेद के उद्देश्य खंड में संशोधन करना। • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक कंपनी की उधारकर्ता शक्तियां।
2017-18 (दूसरी एजीएम)	15 जनवरी,2018	1230 बजे	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	• शेयर पूंजी में वृद्धि करना और परिणामस्वरूप कंपनी की समझौता ज्ञापन में परिवर्तन करना। • कंपनी के समझौता ज्ञापन में परिवर्तन।
2017-18 (प्रथम एजीएम)	27 सितंबर, 2018	1330 बजे	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	शून्य
2018-19 (दूसरी एजीएम)	26 अगस्त, 2019	1530 बजे	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी ने मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकारों के लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में संशोधन करने हेतु।

6. 31 मार्च 2020 को शेयरधारिता

शेयर धारकों का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या (प्रति10	शेयरधारण का प्रतिशत
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)	16,40,49,100	99.99
अशोक कुमार गोयल *	200	नगणय
श्याम लाल गुप्ता*	100	नगणय
योगेश कुमार मिश्रा *	100	नगणय
सुरजीत दत्ता *	100	नगणय
पराग वर्मा*	100	नगणय
सुभाष चंद*	100	नगणय
बसंत कुमार*	100	नगणय
राजेन्द्र सिंह यादव*	100	नगणय
कुल	**16,40,50,000**	**100**

** नामिती शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से धारित हैं।*

7. प्रकटीकरण और सांविधिक शिकायतें: -

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहार, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण से संबंधित पर्याप्त प्रकटन समय-समय किया जाता है और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि विशिष्ट प्रत्यायोजन की स्पष्ट नीति का अनुसरण करते हुए तथा व्यावसायिक मुद्दों की व्यवस्था हेतु नामित अधिकारियों को प्राधिकृत करके बोर्ड द्वारा उचित निर्णय लिए जा सकें। प्रकटीकरण, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए फाइलिंग को समयबद्ध आधार पर बिना किसी लंबन के प्रस्तुत किया जाता है।

8. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन, और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (इस रिपोर्ट में **अनुबंध-ग1** के रूप में प्रस्तुत)।

9. कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 प्रमाणपत्र निर्धारित करता है, जिसे कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों से या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त यिका जाता है। (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और क्रियान्वयसन अनुसूची - खंड 8.2: अनुपालन)।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उक्त प्रमाण पत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरुण कुमार गुप्ता और एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, जिनका कार्यालय रूट्स टॉवर, प्लॉट नंबर-7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 में है, से प्राप्त किया गया है और **अनुबंध-सी 2** के रूप में संलग्न है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
(श्याम लाल गुप्ता)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-ग1

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है-:

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-	**ह/-**
श्री नगनगौडा हनुमंथगौडा पाटिल	**सुश्री रचना तोमर**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)	**मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)**

दिनांक: 24.06.2020
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध-ग2

लोक उपक्रम विभाग के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य,

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड,

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है और इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश के अनुसार सभी तथ्यात्मक संदर्भ में कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, केवल निम्न को छोड़कर यथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और त्रैमासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने को छोड़कर। हालांकि यह ज्ञात है कि चूंकि कंपनी का गठन विशेष कार्य योजना (एसपीवी) के रूप में किया गया है, जिसे सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा अपने दिनांक 11 जुलाई, 2019 और 8 जुलाई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने, त्रैमासिक रिपोर्ट और अन्य अनुपालन प्रस्तुत से छूट प्राप्त है, जिसकी पुष्टि इसकी धारक कंपनी अर्थात इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 28 जनवरी, 2020 को ई-मेल से की गई है। तत्पश्चात, कंपनी ने अपनी लेखापरीक्षा कमेटी और नामांकन और पारिश्रमिक समिति को दिनांक 02 मार्च, 2020 को निरस्त कर दिया।

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

कृते अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
(अरूण कुमार गुप्ता)
एफसीएस- 5551
सीपी सं.- 5086
यूडीआईएन: -F005551B000579951

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14.08.2020

अनुबंध-घ

फार्म सं. एओसी-2

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

(वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु)

****

क्र.सं.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
1.	**ईपीसी करार** (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे हवेरी को छह लेन का बनाने के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए ईपीसी के रूप में नियुक्त करने हेतु।	अनुमानित अवधि: 30 महीने (ईपीसी संविदाकार द्वारा निर्माण हेतु अवधि)	इस संविदा को 12 प्रतिशत की जीएसटी दर सहित 1026.96 करोड़ रूपए मूल्य हेतु निष्पादित किया गय है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इसकेलिए इरकॉन को भुगतान किए गए कार्य व्यय की राशि 37185.90 लाख रूपए है।	20 फरवरी 2018 तथा 9 नवंबर 2017	शून्य (आज की तिथि को)

2.	**पट्टा करार** (कार्यालय परिसर के प्रयोग हेतु किराया)	तीन वर्ष (2018 से 2021)	इरकॉन डीएचएचएल ने 19,305/- रूपए प्रतिमाह जमा जीएसटी की दर से दिनांक 15.05.2018 से 3 वर्ष की अधि के लिए 9 अगस्त 2018 को पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए हैं।	-	शून्य (आज की तिथि को)

इरकॉन देवांगेरे-हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-

श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-ड.

फार्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** (जिसे यहां आगे "'कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**।

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों और उपनियमों; **(कंपनी पर लागू नहीं है)।**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं; **(उक्त अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)।**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(कंपनी पर लागू नहीं है),**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992; **(कंपनी पर लागू नहीं है),**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है),**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; **(कंपनी पर लागू नहीं है),**

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; **(कंपनी पर लागू नहीं है),**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है; **(कंपनी पर लागू नहीं है),**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है),**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998; **(कंपनी पर लागू नहीं है)।**

(vi) हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि कंपनी में विद्यमान अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच पर, कंपनी ने उसपर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

क. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजना के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम,1996;

ख. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;

ग. पर्यावरण कानून, जो लागू हों;

घ. श्रम कानून, जो लागू हों।

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक-I और सचिवीय मानक-II के अनुपालन की भी जांच की है, जो समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी पर लागू थे।

हम आगे उल्लेख करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन केवल गैर-कार्यकारी निदेशक के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों को आयोजित करने, कार्यवृत्त और कार्यसूची के परिपत्रण के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और

स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी को सुनिश्चि करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड की बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था,

हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और हमारे विश्वास के अनुसार, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों की निगरानी और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुसार कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

उल्लेखनीय है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान और प्रबंधन द्वारा यथावर्णित और प्रस्तुत अनुसार, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित कानून, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के अनुसरण में वित्तीय वर्ष के दौरान 6,00,00,000 शेयर (विवरण नीचे तालिक-1 पर प्रस्तुत है) आवंटित किये है और इनका कंपनी के मामलों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

तालिका सं. 1

राइट इश्यु	अशदायी और प्रदत्त शेयरों की संख्या	आवंटित शेयरों की संख्या	आवंटन की तिथि
I	6,00,00,000 इक्विटी शेयर	6,00,00,000	19.09.2019

कृते सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
सौरभ जैन
प्रोप्राइटर
स.सं: ए45034
सीपी सं: 16489
यूडीआईएन: A045034B000585772

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 17.08.2020

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

7. चूंकि कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा देश में लागू किए जा रहे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग मापदंडों के कारण, हम केवल प्रणाली के रिकॉर्ड से ही जांच कर पाए हैं, और आगे मूल / भौतिक रिकॉर्ड और सहायक दस्तावेजों को सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रबंधन ने हमें मेल के माध्यम से विभिन्न दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों पर पहुंच प्रदान की थी, जिन्हें अब कंपनी द्वारा क्लाउड से हटा दिया गया है।

कृते सौरभ जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
सौरभ जैन
प्रोप्राइटर
स.सं: ए45034
सीपी सं.: 16489
यूडीआईएन: A045034B000585772

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 17.08.2020

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सदस्य,
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली (भारत) - 110017

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोट

मत

हमने **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड ("कंपंनी")** के लिए संलग्न स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण इक्विटी परिवर्तन विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे यहां आगे "स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) के सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और 31 मार्च 2020 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मद का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तररदायित्व में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथि भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

गोइंग कंसर्न से संबंधित अनिश्चितता वाले मामलों और सामग्री पर बल

कंपनी की निवल संपत्ति ऋणात्मक नहीं है और इस अवधि के दौरान बैंकों, वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य स्रोतों (यदि कोई हो) से लेनदारों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

इसके अतिरिक्त, हम वित्तीय विवरणों के नोट सं. 34 - "कोविड-19 प्रकटीकरण" पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता की समझ के लिए मौलिक/प्रासंगिक महत्व का है। इसके मामले में हमारा मत संशोधित नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, हम नोट सं.16 - "अन्य आय" और नोट सं. 33 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी इंड एएस-1 - "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को दिए गए मोबलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज आय - 416.05 लाख रूपए और एनएचएआई से प्राप्त मोबलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज लागत - 341.16 लाख रूपए को समाप्त कर दिया है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि मोबिलाइजेशन अग्रिम और ब्याज देने और लेने की शर्तें कंपनी के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं हैं। इसके मामले में हमारा मत संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समाधान समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय के निर्धारण में किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है -

प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दे	हमारे लेखापरीक्षा द्वारा इसका समाधान
1. **इंड एएस-115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" की शर्तों के अनुसार स्वीकृत राजस्व** इंड एएस-115 पाँच स्तरीय राजस्व स्वीकृति मॉडल निर्धारित करता है। कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करने के पश्चात समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करती है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व स्वीकृति लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखांकन मानकों के संदर्भ में नीतियों का अनुपालन करना शामिल है।
राजस्व की स्वीकृति के लिए कार्यक्षेत्र, दावों (मुआवजा, छूट आदि) और अन्य भुगतान में परिवर्तन के लिए आकलन और निर्णय की आवश्यकता होती है जो निष्पादन दायित्व के संतोष के स्तर तक है। कंपनी इनपुट पद्धति को लागू करके निष्पादन दायित्व का आकलन करती है। उन संविदओं में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है, वहां आउटपुट विधि लागू की जाती है, जो निष्ठापूर्ण रूप से निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के प्रति कंपनी के निष्पादन को दर्शाती है। आदेश की पूर्ति के दौरान, संविदात्मक दायित्वों का पुन:आकलन किए जाने की की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन आदेश या रद्दकरण पर विचार किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से	हमने नए राजस्व लेखांकन मानक (पिछले वित्तीय वर्ष) के क्रियान्वयन और अनुमानित परियोजना लागत में परिवर्तन और संविदाओं के खंडों/शर्तों में व्यापक पर्यावरणीय परिवर्तनों (वर्तमान वर्ष) के संबंध में आवश्यक परिवर्तन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प का मूल्यांकन किया है। हमने एनएचएआई के साथ समझौते की संवीक्षा की है और आंतरिक नियंत्रण के प्रचालन की प्रभावशीलता की जांच की है, जो संबंधित निष्पादन दायित्वों की पहचान और निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित था। हमने अनुमानित लागत के साथ समझौतों को पूरा करने के लिए डब्ल्यूआईपी शेष के भीतर शामिल लागतों की जांच की और निवल वसूलीयोग्य दरों की तुलना के माध्यम से उनके पुन:निर्धारण की जांच की है। इसके अतिरिक्त, हमने एनएचएआई के साथ सेवा रियायत समझौते के तहत मान्यता

अधिक हो सकती है और इसलिए, अपेक्षित हानि की तत्काल पहचान करने की आवश्यकता होती है। इंड एएस-115 में अपने ग्राहकों के साथ संविदाओं के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। विवरण में लिए स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट 23 - सेवा रियायत समझौते और नोट 30 - ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व का संदर्भ लें।	प्राप्त वित्तीय परिसंपत्ति की मात्रा की जांच की और लक्ष्यों को पूरा करने के आधार पर तथा इसके लिए एनएचएआई से प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए वसूली की क्षमता का अनुमान लगाया। हमने इस तथ्य के प्रति विशिष्ट घ्यान केन्द्रित करते हुए राजस्व मान्यता पर पर्याप्त प्रक्रियाओं का पालन किया है, चाहे अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व या कई निष्पादन दायित्व हों या नहीं, निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या एक समय बिंदु पर संतुष्ट हो रहा है: • इन संविदाओं में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों को पढ़ें, विश्लेषण और चिह्नित करें। • कंपनी द्वारा चिह्नित और स्वीकृत किए गए निष्पादन दायित्वों से इन निष्पादन दायित्वों की तुलना करें। • पृथक निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए प्रयुक्त संव्यवहार मूल्य को सत्यापित करने के लिए संविदा की शर्तों पर विचार किया गया। • जाँच की गई कि क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या एक समय बिंदु पर संतुष्ट हैं। • राजस्व की तर्कशीलता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रकटन किया।

अन्य मुद्दे

कोविड 19 के कारण कार्यक्षेत्र सीमितता

कोविड - 19 के कारण देश में लागू किए जा रहे लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण सरकार द्वारा लगाए गए व्यवधानों के मद्देनजर, हम केवल लेखों की प्रणाली और मूल लेखा बहियों से ही खातों की जांच करने में सक्षम रहे हैं और अधिकतर मामलों में इन वित्तीय विवरणों में उल्लिखित अभिलेखों का सत्यापन नहीं कर पाए हैं। प्रबंधन ने हमें विभिन्न दस्तावेजों की स्कैंड प्रतियां प्रदान की हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थीं।

हम यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कोविड-19 के कारण भौतिक संचलन और कड़े समयसीमा प्रतिबंधों की वजह से लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी मानकों के अंतर्गत निर्धारित अनुसार अपेक्षित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के लिए कंपनी के कार्यालय का उचित रूप से दौरा नहीं कर सका है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, किन्तु इन तक ही सीमित नहीं हैं:

- मूल दस्तावेजों/फाइलों का निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षा और सत्यापन;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनिक प्रभावशीलता का सत्यापन;
- कंपनी की अचल संपत्तियों के टाइटल करारों का सत्यापन;
- पहुंच नियंत्रण और डाटा सुरक्षा के संबंध में अवलोकन;
- कोई अन्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया, जिसमें लेखापरीक्षा टीम की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुलग्नक से बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, यदि लागू हो, लेकिन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं हैं ।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासनों को निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारितों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण

माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

क) वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर किया गा चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।

ख) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।

ग) प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।

घ) लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तत्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।

ङ) प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

च) भौतिकता स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण की गंभीरता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूपा से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों का यथोचित विवेकपूर्ण उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारी लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु।

छ) हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

ज) हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

झ) शासन द्वारा प्रभारित मुद्दों में से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

1. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **अनुग्नक-क** के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारी राय में उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित नियमों द्वारा यथापेक्षित कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित बही खातों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त इंड एएस वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पठित, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) दिनांक 31 मार्च 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा ध्यान में लिए गए अनुसार, कोई भी निदेशक अधिनियम के खंड 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति होने के लिए दिनांक 31 मार्च 2020 को अयोग्य नहीं है;

च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ख**" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ) अधिनियम की धारा 197(16), यथासंशोधित की आवश्यकताओं के अनुसार, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में:

" दिनांक 5 जून, 2015 की सरकारी अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) के दृष्टिगत, सरकारी कंपनियां को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।"

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय

में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

क कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

ख कंपनी ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदाओं पर, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण प्रत्याशित घाटों के लिए लागू कानून या लेखांकन मानक के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किए हैं।

ग ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के **अनुबंध-ग** का संदर्भ लें।

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 008030एन

सीए सुनिल सिंघल
साझेदार
सदस्यता संख्या 086904
यूडीआईएन : 20086904एएएएएचआर4699

दिनांक: 24.06.2020
स्थान: नई दिल्ली

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-क।

(इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" खंड के अंतर्गत पैरा 1 का संदर्भ लें)

हम उल्लेख करते हैं कि:

1. **कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में -**

(क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, युक्तिसंगत अंतराल पर, चरणबद्ध रूप से प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है और इन सत्यापनों से कोई महत्वपूर्ण विसंगति सामने नहीं आई है। इसके अतिरिक्त, सत्यापन की नियमित अनुसूची होती है जो हमारे विचार में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है।

(ग) कंपनी के पास लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कोई अचल संपत्ति नहीं है।

2. **इन्वेंटरी के संबंध में -**

कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, आदेश का पैरा 3(ii) की रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं किए गए हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है। इसलिए आदेश का खंड 3 (iv) लागू नहीं है।

5. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए जनसाधारण से जमाराशि स्वीकार करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा कंपनी (जमाराशि स्वीकार करना) नियम, 2015 लागू नहीं होते हैं।

6. कंपनी की गतिविधियों के लिए अधिनियम के खंड 148 के उपखंड (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा लागत रिकार्डों के अनुरक्षण का निर्धारिण किया गया है और तदनुसार, कंपनी ने अपने निगमित कार्यालय में अपेक्षित लागत रिकार्डों का अनुरक्षण किया है। तथापि, किसी पृथक लागत लेखों का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

7. <u>सांविधिक देयों के संबंध में</u> -

क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी भविष्य निधि, आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर के संबंध में अविवादित देय तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियाँ के संबंध में काटी गई/संचित राशियों को नियमित रूप से सक्षम प्राधिकारियों के पास जमा कराती हैं।

ख. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय कोई भी राशि दिनांक 31 मार्च 2020 को देय होने की छेह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय नहीं है।

ग. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय कोई भी राशि को किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

8. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी का किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों या सरकारी या डिबेंचरधारकों के प्रति कोई बकाया देय नहीं है। तथापि, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के दौरान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएन-एल45203डीएल1976जीओआई008171) से 139.22 करोड रूपए का ऋण लिया है और दिनांक 31 मार्च 2020 को ऐसे ऋण का समापन शेष 269.22 करोड रूपए है।

9. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर (ऋण माध्यमों सहित) के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3 (ix) कं अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होते है। तथापि, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के दौरान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएन-एल45203डीएल1976जीओआई008171) से 139.22 करोड रूपए का सावधि ऋण स्वीकार किया है।

10. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

11. दिनांक 05 जून 2015 की सरकारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ड.) के दृष्टिगत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

12. निधि नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, तदनुसार आदेश का पैरा 3 (xii) कंपनी पर लागू नहीं है।

13. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, सभी संबंधित पक्ष संव्यवहार कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुरूप हैं, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबैंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तथापि कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएन-एल45203डीएल1976जीओआई008171) से 60 करोड़ रूपए की कुल शेयर पूंजी प्राप्त की है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xv) लागू नहीं है।

16. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारीजांच के आधार पर, कंपन को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का आवश्यकता नहीं है।

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 008030एन

सीए सुनिल सिंघल
साझेदार
सदस्यता संख्या 086904
यूडीआईएन :20086904एएएएएचआर4699

दिनांक: 24.06.2020
स्थान: नई दिल्ली

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-ख

(इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" खंड के अंतर्गत पैरा 2 का संदर्भ लें)

कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के खंड-2 के उप खंड (i) के अंतर्गत आंतरित वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2020 को **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों

की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं

(1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं।

(2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं।

(3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, दिनांक 31 मार्च, 2020 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण खामियों को चिह्नित किया गया है।:

वर्ष के दौरान, कंपनी ने लेखांकन सॉफ्टवेयर टैली ईआरपी के माध्यम से अपने लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली का अनुसरण किया है। सभी वाउचर मैन्युअल रूप से अनुमोदित हैं और केवल टैली सॉफ्टवेयर में रखी गई लेखा बहियों में लेखांकि किए गए हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष के भीतर पश्च तिथि में प्रविष्टियां को लेखांकित करने की संभावना है। तदनुसार, कंपनी को इस संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में भौतिक खामी, वह खामी या खामिमियों का संयोजन है, जिसमें युक्तिसंगत स्तर पर यह संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम

वित्तीय विवरणों की एक महत्वपूर्ण दुर्विवरण को रोका नहीं जा सका या या इसका पता समय पर नहीं लगाया जा सका।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमने दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा की प्रकृति, समय और स्तर का निर्धारण करने में चिह्नित महत्वपूर्ण खामियों पर विचार किया है, और ये महत्वपूर्ण खामियां कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करत हैं।

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 008030एन

सीए सुनिल सिंघल
साझेदार
सदस्यता संख्या 086904
यूडीआईएन :20086904एएएएएचआर4699

दिनांक: 24.06.2020
स्थान: नई दिल्ली

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-ग

(इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" खंड के अंतर्गत पैरा 3 का संदर्भ लें)

दिनाक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के उत्तर:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है**?** यदि हां तो**,** वित्तीय परिणामों**,** यदि कोई हो**,** सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है**,** कृपया स्पष्ट करें।	जी हां, वर्ष के दौरान, कंपनी ने टैली ईआरपी लेखांकन साफ्टवेयर के माध्यम से अपने लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया निष्पादित की है। सभी वाउचरों को मानवीय रूप से स्वीकृत किया गया है और इन्हे केवल टैली साफ्टवेयरमें ही अनुरक्षित लेखा बिहयों में लेखांकित किया गया है।
2.	क्या वहां कंपनी में देनदारों द्वारा मौजूदा ऋण या ऋणों/ब्याज आदि के छूट /बट्टे खाते के मामलों के पुन:निर्धारण का कोई मामला हैजो ऋण के भुगतान में कंपनी की अक्षमता के कारण हो? यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	वर्ष के दौरान कंपनी में देनदारों द्वारा मौजूदा ऋण या ऋणों/ब्याज आदि के छूट /बट्टे खाते के मामलों के पुन:निर्धारण का कोई मामला नहीं आया है।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गया है**?** विपथन के मामलों की सूची बताएं।	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी भी केंद्रीय या राज्य एजेंसियों से कोई धन प्राप्त/प्राप्य नहीं हुआ है।

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं. 008030एन

सीए सुनिल सिंघल

साझेदार

सदस्यता संख्या 086904

यूडीआईएन :20086904एएएएएचआर4699

दिनांक: 24.06.2020

स्थान: नई दिल्ली

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, **2013** के खंड **143 (5)** के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार, दिनांक **31** मार्च, **2020** को समाप्त वर्ष के इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी सभी निदेशों/उप-निदेशों का अनुपालन किया गया है।

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 008030एन

सीए सुनिल सिंघल
साझेदार
सदस्यता सं. 086904

दिनांक :**24.06.2020**
स्थन :**नई दिल्ली**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2020 को तुलनपत्र

(रूपए लाख में)

	विवरण	नोट सं	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
I.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वित्तीय परिसंपत्यिां	3	0.30		-	
	(ख) वित्तीय परिसंपत्यिां					
	- अन्य	4	25,474.31		13,425.91	
	(ग) आस्थगित कर परिसपत्तियां (निवल)	5	13.76		27.39	
	कुल गैर चालू परिसंपत्तियां			25,488.37		13,453.30
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वित्तीय परिसिंपत्तियां	6				
	(i) व्यापार प्राप्य	6.1	792.02		10,099.60	
	(ii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	6.2	219.17		134.24	
	(iii) अन्य	6.3	16,815.61		1.13	
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	7	678.50		336.73	
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	8	6,137.11		8,853.34	
	कुल चालू परिसंपत्यिां			24,642.41		19,425.04
	कुल परिसंपत्यिां		**50,130.78**		**32,878.34**	
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	16,405.00		10,405.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	10	354.82		277.38	
	कुल इक्विटी			16,759.82		10,682.38
2	**देयता देयताएं**					
(i)	गैर- चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताएं	11				
	(i) ऋण	11.1	26,922.00		13,000.00	
	कुल गैर चालू देयताएं			26,922.00		13,000.00
(ii)	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	12				
	(i) व्यापार देय	12.1				
	- सूक्ष्म और लघ् उपक्रमों को देय		-		0.10	
	- अन्य		2,534.87		5.93	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	13	510.62		141.85	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	14	3,403.47		9,048.08	
	कुल चालू देयताएं			6,448.96		9,195.96
	कुल इक्विटी एवं देयताएं		**50,130.78**		**32,878.34**	
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 35				

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 008030एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सीए सुनिल सिंघल	**श्याम लाल गुप्त**	**राजेन्द्र सिंह यादव**	**सुरजीत दत्ता**
साझेदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 086904	**डीआईएन: 07598920**	**डीआईएन: 07752915**	**डीआईएन: 06687032**

	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**नगनगैडा हनुमंथगैडा पाटिल**	**रचना तोमर**	**पूजा रस्तोगी**
दिनांक: 24.06.2020	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**
यूडीआईएन:20086904AAAAHR4699			

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(रूपए लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालनों से राजस्व	15	39,283.50	31,270.32
II.	अन्य आय	16	113.66	170.13
III.	**कुल आय (I + II)**		39,397.16	31,440.45
IV.	**व्यय:**			
	परियोजना व्यय	17	37,491.30	30,846.31
	कर्मचारी लाभ व्यय	18	33.66	18.74
	वित्तीय लागते	19	1,758.40	248.97
	मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	20	0.12	-
	अन्य व्यय	17	1.19	0.50
	कुल व्यय (IV)		39,284.67	31,114.52
V.	आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (III - IV)		112.49	325.93
VI.	आपवादिक मदें			-
VII.	करपूर्व लाभ/हानि (V - VI)		112.49	325.93
VIII.	कर व्यय:			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष हेतु		21.42	75.69
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		-	-
	(2) आस्थगति कर (निवल)		13.63	35.93
	कुल कर व्यय		35.05	111.62
IX	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)**		**77.44**	**214.31**
X	**अन्य वृहत आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		-	-
			-	-
XI	**अवधि के लिए कुल वृहत आय (IX +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ और अन्य वृहत आय शामिल हैं, कर का निवल)**		**77.44**	**214.31**
XII	प्रति शेयर प्रति आमदनी (निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल	21	0.06	0.34
	(2) विलयित		0.06	0.34
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		10.00	10.00
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2		
XIV	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 35		

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 008030एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सीए सुनिल सिंघल	**श्याम लाल गुप्त**	**राजेन्द्र सिंह यादव**	**सुरजीत दत्ता**
साझेदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 086904	**डीआईएन: 07598920**	**डीआईएन: 07752915**	**डीआईएन: 06687032**

	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**नगनगैडा हनुमंथगैडा पाटिल**	**रचना तोमर**	**पूजा रस्तोगी**
दिनांक: 24.06.2020	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

यूडीआईएन:20086904AAAAHR4699

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2020 को रोकड़ प्रवाह विवरण को इक्विटी परिवर्तन विवरण

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
कराधान पश्चात निवल लाभ	112.49	325.93
समायोजन		
ब्याज आय	(454.82)	(326.43)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	0.12	-
ब्याज व्यय और अन्य वित्तीय लागत	2,099.56	405.27
चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं से पूर्व प्रचालनिक लाभ	**1,757.35**	**404.77**
समायोजन		
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	9,307.58	(10,099.60)
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(12,048.40)	(13,180.24)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(16,813.85)	(1.13)
अन्य चालू परिसंपत्यिों में कमी / (वृद्धि)	2,716.24	(8,852.90)
व्यापार देयताओं में कमी / (वृद्धि)	2,528.84	(233.98)
अन्य चालू वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में कमी / (वृद्धि)	368.76	140.58
अन्य चालू देयताओं में कमी / (वृद्धि)	(5,644.60)	9,047.79
कुल कार्यशील पूंजी परिवर्तन	**(19,585.43)**	**(23,179.48)**
प्रचालन से अर्जित रोकड़	**(17,828.08)**	**(22,774.71)**
प्रदात्त आयकर (धनवापसी का निवल)	(363.20)	(412.42)
प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़	**(18,191.28)**	**(23,187.13)**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
सीडब्ल्यूआईपी सहित परिसंपत्तियों , संयंत्र और उपकरण की खरीद	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	(0.42)	-
प्राप्त ब्याज	454.19	326.41
प्राप्त लाभांश	-	-
इक्विटी शेयरों में निवेश	-	10,400.00
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	**453.77**	**10,726**
वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
इरकॉन से ऋण	13,922.00	13,000.00
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	6,000.00	-
ब्याज व्यय और अन्य वित्तीय लागतें	(2,099.56)	(405.27)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	**17,822.44**	**12,594.73**
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	-	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल कम	**84.93**	**134.01**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (आरंभिक)	**134.24**	**0.23**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (अंतिम)*	**219.17**	**134.24**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धि(कम)	**84.93**	**134.01**

नोटः 1: नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके प्रकट किया जाता है, जिससे गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन और पिछले या भविष्य के नकद प्राप्तियों या भुगतान के किसी भी आस्थकगन या प्रोद्भवनके प्रभाव के लिए कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के प्रचालन, निवेश और वितपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को पृथक किया जाता है।

दिनांक 01 अप्रैल 2017 से, कंपनी ने इंड एएस 7 में संशोधन को स्वीधकार किया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन करने की आवश्यकता होती है जो वितीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वितीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें रोकड़ प्रवाह और गैर रोकड़ परिवर्तन शामिल हैं। प्रकटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वितपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में आरंभिक और समापन शेष के बीच एक सामंजस्य को शामिल करने से इस संशोधन को अपनाने से वितीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

3. रोकड़ के आउटफ्लो को प्रकोष्ठ में दर्शाया गया है।
4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन:समूहित:पुन:निधारित किया गया है, जहां आवश्यक हआ।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 008030एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सीए सुनिल सिंघल	**श्याम लाल गुप्त**	**राजेन्द्र सिंह यादव**	**सुरजीत दत्ता**
साझेदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 086904	**डीआईएन: 07598920**	**डीआईएन: 07752915**	**डीआईएन: 06687032**
स्थान : नई दिल्ली	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
दिनांक: 24.06.2020	**नगनगैडा हनुमंथगैडा पाटिल**	**रचना तोमर**	**पूजा रस्तोगी**
यूडीआईएन:20086904AAAAHR4699	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2020 को इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी **(रूपए लाख में)**

विवरण	"रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष"	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के दौरान बायबैक	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
31 मार्च 2019 को शेष	5.00	10,400.00	-	10,405.00
31 मार्च 2020 को शेष	10,405.00	6,000.00	-	16,405.00

ख. अन्य इक्विटी **(रूपए लाख में)**

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडेम्पशन आरक्षितनिधि	
01 अप्रैल 2018 को शेष	-	**63.07**	-	**63.07**
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुन:बहाली	-	**63.07**	-	**63.07**
वर्ष हेतु लाभ	-	214.31	-	214.31
अन्य वृहत आय	-	-	-	-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	-	-	-	-
अवधि हेतु कुल वृहत आय	-	**214.31**	-	**214.31**
घटा: प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-
घटा: लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को शेष	-	**277.38**	-	**277.38**
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुन:बहाली	-	**277.38**	-	**277.38**
वर्ष हेतु लाभ	-	**77.44**	-	**77.44**
अन्य वृहत आय	-	-	-	-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	-	-	-	-
अवधि हेतु कुल वृहत आय	-	**77.44**	-	**77.44**
इक्विटी शेयरों का बायबैक	-	-	-	-
घटा: प्राधिकृत पूंजी में वृद्धिहेतु शुल्क का भुगतान	-	-	-	-
घटा: शेयरों के बायबैक हेतु भुगतान	-	-	-	-
घटा: प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-
घटा: लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-
घटा: बोनस इश्यु	-	-	-	-
अवधि हेतु कुल वृहत आय	-	**354.82**	-	**354.82**

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 008030एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सीए सुनिल सिंघल	**श्याम लाल गुप्त**	**राजेन्द्र सिंह यादव**	**सुरजीत दत्ता**
साझेदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 086904	**डीआईएन: 07598920**	**डीआईएन: 07752915**	**डीआईएन: 06687032**
स्थान : नई दिल्ली	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
दिनांक: 24.06.2020	**नगनगैडा हनुमंथगैडा पाटिल**	**रचना तोमर**	**पूजा रस्तोगी**
यूडीआईएन:20086904AAAAHR4699	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

1. निगमित सूचना

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है । इरकॉन डीएचएचएल का निगमन भारत में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब दिनांक 19 जून 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन के निर्माण का काम सौंपा गया था। अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड' ने दिनाक 11 मई, 2017 को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के नाम से एक विशेष कार्य योजना (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉन डीएचएचएल ने दिनांक 19 जून 2017 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त करार की शर्तों के अनुसार आईडीएचएचएल का दायित्व है कि वह देवांगेरे हवेरी खंड के छह लेन की परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करे और उन सभी परिसंपत्तियों, जिनका जीवनकाल समाप्त हो गया है, सहित परियोजना की सभी परिसंपत्तियों को उचित कार्यशील अवस्था में बनाए रखे। यह परियोजना वार्षिकी आधार पर है और वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 15 वर्षों की अवधि तक आईडीएचएचएल के प्रचालनाधीन रहेगी। इसके लिए भुगतान वार्षिकी आधार पर किया जाएगा जो इस करार के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर देय होगा। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरण में आंकडों को दो दशमलव तक राउंड ऑफ करते हुए लाख रूपए में प्रस्तुत किया गया है केवल प्रति शेयर डॉटा औरअन्यथा उल्लेख किया गया हो, को छोडकर।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों को दिनांक 24 जून 2020 को आयोजित उनकी 30वीं बैठक में कंपनी क निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची–।।।) की अनुसूची–।।। के भाग–।।, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अतिरिक्त है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2..2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

- किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :
- सामान्य प्रचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए निर्धारित हो अथवा उपयोग किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो, या
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल।

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं।

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं निर्धारित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन

तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8–15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3–6
कार्यालय उपकरण	5 –10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3–5
वाहन	8–10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन/घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है, जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

अनुवर्ती मापन एवं मूल्यâास

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्यâास क्रय/ निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन Ýीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है, जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन/घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा

रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन कर पूर्व छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अतिरिक्त परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन रशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.7 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक

(एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ड.) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.8 राजस्व स्वीकृति

(क) सेवा रियायत करार

कंपनी इंड एएस:115 : ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व के अनुसार निर्माण से राजस्व को स्वीकार करती है और मापती है तथा सेवाओं का स्तरोन्नयन करती है।

कंपनी द्वारा प्राप्य या प्राप्त की जाने वाली सहमति वित्तीय परिसंपत्ति का अधिकार है। कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार करती है कि उसे निर्माण सेवाओं के लिए अनुदानकर्ता ("एनएचएआई") के निदेश पर नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है, अनुदान देने वाले के पास

यदि कोई हो, तो भुगतान से बचने के लिए विवेक आमतौर पर क्योंकि समझौता कानून द्वारा लागू करने योग्य होता है।

कंपनी को अशर्त नकद प्राप्त करने का अधिकार है क्योंकि अनुदानकर्ता कंपनी को निर्दिष्ट या निर्धारित मात्रा का भुगतान करने की गारंटी देता है, भले ही भुगतान कंपनी पर निर्भर हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधारभूत अवसंरचना ढांचा निर्दिष्ट गुणवत्ता या दक्षता आवश्यकताओं को पूरा करता है।

संविदा राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब कंपनी अनुदानकर्ता को आश्वस्त सेवा स्थानांतरित करके निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है। कंपनी का निष्पादन ऐसी परिसंपत्ति का सृजन/संवर्धन करती है जो गारंटर के नियंत्रण में हैं। चूंकि परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन किया गया है इसलिए कंपनी समय के साथ कार्यनिष्पादन दायित्वों को संतुष्ट करने पर इस नियंत्रण को अंतरित करती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व की स्वीकृति तब करती है यदि यह निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि पर इसकी प्रगति को युक्तिसंगत स्तर पर मापा जा सके। हालांकि, जहां कंपनी यथोचित निष्पादन दायित्व के परिणाम को मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी को आशा है निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करने में आने वाली लागतों की वसूली के लिए कंपनी राजस्व को केवल उस समय तक किए गए लागतों की सीमा तक स्वीकार करेगी, जबतक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथोचित रूप से माप नहीं सकती।

निष्पादन दायित्व को लागू इनपुट पद्धति पर मापा जाता है। इनपुट पद्धतियां कंपनी के प्रयासों या उस निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित इनपुट के सापेक्ष निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर राजस्व को स्वीकार करती है। यदि कंपनी के प्रयासों या इनपुट को पूर्ण निष्पादन अवधि में समान रूप से खर्च किया

जाता है तो कंपनी सीधे आधार पर राजस्व को स्वीकार करती है। निष्पादन दायित्वों से उत्पन्न होने वाली देरी के कारण अपेक्षित इनपुट को तरल क्षति/दंड (एलडी) के लिए समायोजित किया जाता है।

उन संविदाओं में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है वहां कंपनी आउटपुट पद्धति को लागू करती है जो ईमानदारी से निकाय के निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि को दर्शाती है।

राजस्व को उस संव्यवहार मूल्य पर मापा जाता है जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया गया है। संव्यवहार का मूल्य वह राशि है जिसके लिए कंपनी को उम्मीद है कि अनुदानकर्ता को प्रस्तावित सेवा के स्थानांतरित के स्थान पर हकदार प्राप्त होगा। विलिंब/दंड हेतु क्षतिपूर्ति, मूल्यसंवर्धन और बोनस में हानि के लिए प्रबंधन को द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और इसे केवल इस सीमा तक समायोजित किया जाता है कि यह अत्यधिक संभावना हो कि स्वीकृत राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।

संविदा के निर्धारण के पश्चात, संविदा मूल्य में कई कारणों से परिवर्तन हो सकता है जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस विचार की मात्रा को बदलते हैं जिसके लिए कंपनी को आश्वस्त सामान या सेवाओं के स्थान पर हकदार होने की आशा है। कंपनी संविदा के अंतरण के दौरान उसी आधार पर लेनदेन के मूल्य में किसी भी परिवर्तन के कारण संविदा के निष्पादन दायित्वों को आवंटित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, एक संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन हुआ है।

कंपनी निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि पर पृथक संविदा के रूप में संविदा अनुबंध संशोधन लेखांकन करती है:

क. संविदा का कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है क्योंकि प्रस्तावित वस्तुओं या सेवाओं के जोड़ अलग-अलग होते हैं अर्थात ग्राहक को माल या सेवाओं का लाभ स्वयं या अन्य संसाधनों के साथ मिल सकता है जो ग्राहक को आसानी से उपलब्ध हैं (माल या सेवा विशिष्ट होने में सक्षम) और ग्राहक को माल या सेवा हस्तांतरित करने के लिए कंपनी का आश्वासन संविदा में अन्य आश्वासनों से अलग पहचाना जा सकता है (माल या सेवा अनुबंध के संदर्भ में अलग है)।

ख. संविदा का मूल्य वसूलीयोग्य राशि के साथ बढ जाता है जो कंपनी के स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य वाले सामान या सेवाओं की बिक्री की कीमतों को दर्शाती है और विशेष संविदा परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस मूल्य हेतु किसी भी उपयुक्त समायोजन को दर्शाती है।

यदि संविदा को पृथक संविदा के रूप में लेखांकित नहीं जाता है तो आश्वस्त सामान या सेवाओं के लिए कंपनी का खाता अभी तक अनुबंध संशोधन की तारीख (अर्थात शेष वादा किए गए सामान या सेवाओं) में स्थानांतरित नहीं होता है। विचार की गई राशि का पुनर्निधारण किया जाता है जो कि ग्राहक द्वारा वचन दी गई राशि है जिसे राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है और संविदा आशोधन के भाग के रूप में वचन के माना जाता है।

संविदा परिसंपत्ति और दायित्व को तुलनपत्र मे प्रस्तुत किया जाता है जो दोनों में से कोई भी पक्ष संविदा का निष्पादन करता है।

संविदा परिसंपत्ति वस्तु या सेवाओं के विनिमय हेतु कंपनी के अधिकार को प्रदर्शित करती है जिसे कंपनी ग्राहकों को अंतरित करती है। अनिवार्य रूप से जिसे कंपनी ने

भुगतान की दय तिथि से पूर्व निष्पादित किया हैा इससे संबद्ध शर्तें समयकाल के इतर हैं। यदि भुगतान देय तिथि समयकाल द्वारा सशर्त है तो कंपनी इसे पृथक रूप से प्राप्यों के रूप में दर्शाती है।

संविदागत दायित्व को उस समय बुक किया जाता है जब कंपनी के उपर ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं के अंतरण का दायित्व होता है। इस स्थिति में या तो कंपनी को पहले ही ग्राहक से धनराशि प्राप्त हो गई है या यह राशि ग्राहक के पास है जो सशर्त है (ग्राहक कंपनी के निष्पादन से पूर्व भुगतान करेगा या भुगतान हेतु दायी है)।

ख. अन्य आय

- लाभांश आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।
- ब्याज आय को प्रभावी ब्यात दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।

2.2.9 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.10 कर

(क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के

रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

(ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो

अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

आस्थगति कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकारी होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित हो।

2.2.11 विदेशी मुद्राएं

- **कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा**

  वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- **संव्यवहार एवं शेष**

  विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

  रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

  मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

2.2.12 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि कंपनी में कर्मचारी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

2.2.13 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड़ और रोकड समतुल्य में उपलब्ध रोकड, बैंकों में रोकड और तीन महीनों या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली अल्पकाली सावधि जमा राशियांजो ज्ञात रोकड राशिके लिए तत्काली नकदीकृत की जा सकती है और जो मूल्य में परिवर्तन के गैर महत्वपूर्ण स्तर के अध्याधीन हो।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, रोकड और रोकड समतुल्य में अप्रतिबंधित रोकड और अल्पकालीन जमा राशियां शामिल हैं, जैसा कि उपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये कंपनी के रोकड प्रबंधन का अभिन्न अंग समझा जाता है।

2.2.14 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संगत कर सीधे इक्विटी में स्वीकृत होता है।

2.2.15 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

(क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तक्रसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बह्रिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं, जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.16 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यूनतम मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का

मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

सावधिक पट्टे पर अधिग्रहित पट्टाधारी भूमि को परिशोधित नहीं किया जाता।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ii) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने,

पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

ख) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। प्रचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.17 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं, जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर 'ऋण उपकरण' का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

  क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

  ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर

परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर 'ऋण उपकरण' का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण**

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **इक्विटी उपकरण**

इंड एएस–109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण–वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस–109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस–116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस–115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल दृष्टिकोण' का अनुसरण किया गया हैः

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए

किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता ानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया हैः–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।

- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते

के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयतों में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया

जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस–109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो।

व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी–कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके प्रचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ड.) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.2.18 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैंः–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण

किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.19 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री/वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस–105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन – (1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.20 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.21 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम

ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(क) ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ख) आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी संबंधी जटिल विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(ग) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास,

बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(घ) कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(ड.) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार

मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(च) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

(छ) राजस्व स्वीकृति

कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए अपनी प्रगति का यथोचित आकलन करने के पश्चात समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व की पहचान करती है। राजस्व की स्वीकृति के लिए संतोष के स्तर तक निष्पादन दायित्वों के संबंध में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, दावों (मुआवजे, छूट आदि) और अन्य भुगतानों का आकलन

करना अपेक्षित है और ये संभावित हैं तथा उचित रूप से मापन हेतु सक्षम हैं। दावों के लिए अनुमान लगाने के उद्देश्य से, कंपनी ने उपलब्ध संविदात्मक और ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग किया।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

3 परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण

(रूपए लाख में)

विवरण	कम्प्यूटर	कुल
सकल वहन राशि (लागत पर)		
1 अप्रैल 2018 के	-	-
संवर्धन	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
विनिमय लाभ/ हानि	-	-
31 मार्च 2019 को	-	-
संवर्धन	0.42	0.42
निपटान/समायोजन	-	-
विनिमय लाभ/ हानि	-	-
31 मार्च 2020 को	**0.42**	**0.42**
मूल्यह्रास एवं हानि		
1 अप्रैल 2018 के	-	-
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास		-
हानि	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
विनिमय लाभ/ हानि	-	-
31 मार्च 2019 को	-	-
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	0.12	0.12
हानि	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
विनिमय लाभ/ हानि	-	-
31 मार्च 2020 को	**0.12**	**0.12**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2020 को	**0.30**	**0.30**
31 मार्च 2019 को	-	-

4 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
संविदागत परिसंपत्तियां वसूली योग्य			
वित्तीय परिसंपत्तियां - निर्माण संविदा	1	25,474.31	13,425.91
कल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		**25,474.31**	**13,425.91**

फुटनोट:

1. वित्तीय परिसंपत्तियां - निर्माण संविदा राजमार्ग है, जिसका निर्माण हाइब्राइड एनिविटी मोड (एचएएम) के माध्यम से आईडीएचएचएल द्वारा किया जा रहा है (नोट 23 का संदर्भ लें)।

5 अस्थगित कर परिसंपत्तियों और आय कर

इंड एएस 13 "आयकर" के अनुसरण में प्रकटन

(क) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	**लाभ और हानि खंड**		
	चालू आय कर:		
	चालू आय कर प्रभार	21.42	75.69
	पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	-	-
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों के समायोजन एंव प्रतिक्रम से संबंधित	13.63	35.93
	लाभ और हानि खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	**35.05**	**111.62**
2	**अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर		
	निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनःमापन पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	विदेशी प्रचालन अंतरण पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	ओसीआई खंड में प्रस्तत आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 के लिए भारत के घरेलू कर दर दवारा गणा कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	112.49	325.94
2	आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार निगमित कर दर	25.168%	27.821%
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	28.31	90.68
4	कर समायोजन प्रभाव:		
(i)	पूर्ववर्ती वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	-	-
(ii)	पिछले अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
(iii)	दर अंतर प्रभाव	-	-
(iv)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
(v)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौती योग्य व्यय	-	-
	अन्य देशों के अतिरिक्त कर	-	-
	अन्य गैर कटौती योग्य व्यय	-	-
(vi)	विभिन्न अन्य मदों पर प्रभाव	6.74	20.94
5	**लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तत आयकर व्यय**	**35.05**	**111.62**
6	प्रभावी कर दर	31.16%	34.25%

(ग) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) और देयताएं

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	तुलन पत्र		लाभ हानि विवरण	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	परिसंपति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	(0.01)	-	(0.01)	-
2	प्रावधान	-	-	-	-
3	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
7	अन्य	13.77	27.39	(13.62)	(35.93)
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**13.76**	**27.39**	**(13.63)**	**(35.93)**

(घ) तुलन पत्र में प्रदर्शित निम्नानुसार:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आस्थगित कर परिसंपतियां	13.77	27.39
2	आस्थगित कर देयताएं	(0.01)	-
	आस्थगित कर परिसंपतियां /(देयताएं) (निवल)	**13.76**	**27.39**

नोट: आस्थगित कर परिसपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासी नियमों से संबंधित हैं।

(ड.) आस्थगित कर (देयताओं) और परिसंपत्तियों का समायोजन :

31 मार्च 2020 को

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	1 अप्रैल 2019 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष (निवल)
1	परिसंपति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-	(0.01)	-	**(0.01)**
2	प्रावधान	-	-	-	-
3	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
7	अन्य (पूर्व समायोजित व्यय)	27.39	(13.62)	-	**13.77**
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**27.39**	**(13.63)**	-	**13.76**

31 मार्च 2019 को

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2018 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2019 को शेष (निवल)
1	परिसंपति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-	-	-	-
2	प्रावधान	-	-	-	-
3	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
7	अन्य (पूर्व समायोजित व्यय)	63.32	(35.93)	-	**27.39**
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**63.32**	**(35.93)**	-	**27.39**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

वित्तीय परिसंपत्तियां

6.1 व्यापार प्राप्य

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
अरक्षित : वसूली योग्य		
- व्यापार प्राप्य * (संदर्भ नोट सं.23)	792.02	10,099.60
संदिग्ध समझे गए		
- व्यापार प्राप्य	-	-
	-	-
घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए हानि प्रावधान	-	-
कुल	**792.02**	**10,099.60**

6.2 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य **(रूपए लाख में)**

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
उपलब्ध रोकड़	-	-
बैंकों में शेष:		
- चालू खातों में	1.67	0.74
- तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाले फ्लैक्सी खाते	217.50	133.50
कुल	**219.17**	**134.24**

6.3 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां **(रूपए लाख में)**

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
क. वसूली योग्य: रक्षित		
प्रतिभूति जमा राशियां		
- अन्य	0.63	0.63
एफडीआर पर संचित ब्याज	0.65	0.03
अन्य प्राप्य	0.04	0.47
संविदागत परिसंपत्तियां		
वित्तीय परिसंपत्तियां - निर्माण संविदा	16,814.29	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसूली योग्य	**16,815.61**	**1.13**
ख) संदिग्ध समझे गए		
प्रतिभूति जमा राशियां		
- सरकारी विभाग	-	-
- अन्य	-	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	-	-
सकल योग - अन्य वित्तीय अन्य	**16,815.61**	**1.13**

फुट नोट

1. वित्तीय परिसंपत्तियां -निर्माण संविदा राजमार्ग है, जिसका निर्माण हाइब्राइड एनिविटी मोड (एचएएम) के माध्यम से आईडीएचएचएल द्वारा किया जा रहा है (नोट 23 का संदर्भ लें)।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

7 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
टीडीएस एवं अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवल)		678.50	336.73
चालू कर परिसंपत्तियां निवल		**678.50**	**336.73**

8 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
अरक्षित - वसूली योग्य		
क) पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम	-	-
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों से अग्रिम - संबंधित पक्ष	1,382.53	7,269.00
अग्रिम वसूलीयोग्य -		
- वस्तु एंव सेवाकर	4,736.59	1,515.89
कुल - पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम	**6,119.12**	**8,784.89**
ख) अन्य		
प्रदत्त व्यय	17.99	20.47
कुल - अन्य	**17.99**	**20.47**
ग) संचित किन्तु अदेय ब्याज		
इरकॉन को मोबिलाइजेशन अग्रिम पर	-	47.98
कुल संचित किन्तु अदेय ब्याज	**-**	**-**
सकल योग	**6,137.11**	**8,853.34**

8. इक्विटी शेयर पूंजी **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति 10 रूपए के 21,70,50,000 इक्विटी शेयर	21,705.00	21,705.00
	21,705.00	21,705.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी		
प्रति 10 रूपए के 16,40,50,000 के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर	16,405.00	10,405.00
कुल	16,405.00	10,405.00

कंपनी में शेयरधारकों के धारण का ब्यौरा

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड - धारक कंपनी	164,050,000	**100**	104,050,000	**100**
कुल	**164,050,000**	**100**	**104,050,000**	**100**

रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान शेयरों की समग्र संख्या के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों, नकदी से इतर अन्य जारी किए गए शेयर

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड़ से इतर जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर बायबैक	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

इक्विटी शेयरों से संबद्धशर्तें/अधिकार:
(क) मतदान :
कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर 10 रुपये का सममूल्य मूल्य है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ख) परिसमापन:
कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण के पश्चात, कंपनी की शेष संपति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) लाभांश :

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन में अध्याधीन है।

वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का विनियोजन

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	शेयरों की संख्या	लाख रूपए में	शेयरों की संख्या	लाख रूपए में
वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	104,050,000	10,405.00	50,000	5.00
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर	60,000,000	6,000.00	104,000,000	10,400.00
घटा: वर्ष के दौरान बाय बैक शेयर			-	
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	**164,050,000**	**16,405.00**	**104,050,000**	**10,405.00**

10 अन्य इक्विटी

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
(क) प्रतिधारण आमदनी		
आरंभिक शेष	277.38	63.07
जमाः लाभा और हानि विवरण में अतिरेक से अंतरित	77.44	214.31
घटाः निगमित लाभांश कर सहित वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त निगमित लाभांश कर		-
समापन शेष	**354.82**	**277.38**
(ख) सामान्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष		-
समापन शेष	-	-
(ग) पूंजी रिडेंप्शन आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष		-
जमाः इक्विटी शेयरों के बायबैक हेतु अंतरण		-
समापन शेष	-	-
(घ) अन्य व्हत आय मदें		
आरंभिक शेष		-
विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)		-
समापन शेष	-	-
सकल योग	**354.82**	**277.38**

अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति और प्रयोजन:

(क) प्रतिधारित आमदनियां

प्रतिधारित आमदनियों में कंपनी के अवितरित लाभ शामिल हैं।

11 वित्तीय देयताएं (गैर चालू)

11.1 ऋण

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
रक्षित:		
धारक कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) से ऋण*	26,922.00	13,000.00
कुल	**26,922.00**	**13,000.00**

नोट :

*** ऋण की निबंधन और शर्तें**

ब्याज की दर :

(i) कंपनी ऋण पर प्रभारित ब्याज दर का भुगतान समय-समय पर प्रचलित एसबीआई एमसीएलआर की दर जमा 0.50% पर करेगी।

(ii) ऋण संवितरण की अवधि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 30 महीने की अवधि के लिए होगी।

(iii) सावधि ऋण 10.5 वर्षों में चुकाया जाएगा जो दिनांक 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा।

(iv) ब्याज का भुगतान प्रत्येक माह के अंतिम दिन मासिक आधार पर किया जाएगा।

(v) ऋण को उधारकर्ता की आवश्यकता के अनुसार किश्तों में संवितरित किया जाएगा।

(vi) परियोजना के निर्माण में लिया गया वास्तविक समय इस शर्त के अधीन अधिस्थगन अवधि होगा बशर्ते स्थगन अवधि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(vii) ऋण को सुरक्षित किया जाएगा-

(क) पहले बंधक और सभी उधारकर्ता की अचल संपत्तियों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा, दोनों वर्तमान और भविष्य की बचत सहित और परियोजना की संपत्ति को छोड़कर।

(ख) सभी उधारकर्ताओं की मूर्त चल संपत्ति पर पहला शुल्क।

(ग) उधारकर्ता के सभी बैंक खातों पर पहला शुल्क।

(घ) रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 और एस्क्रो समझौते के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट अनुसार भुगतान की प्राथमिकता की सीमा तक लागू किया जाएगा।

(ड.) ऋण लेने वाले के सभी सूचना-पत्रों पर शुल्क

(च) सुरक्षित ब्याज के सृजन के माध्यम से शुल्क:

(i) परियोजना दस्तावेजों के तहत और इसके अंतर्गत, उधारकर्ता के अधिकार, टाइटल, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें।

(ii) सभी अनुमोदन और बीमा अनुबंधों के तहत, उधारकर्ता के अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें।

(iii) किसी भी पक्ष द्वारा परियोजना दस्तावेजों को प्रदान किए गए, ठेकेदार और परिसमापक और तरल क्षति और निष्पादन बांड सहित किसी भी पत्र के तहत, उधारकर्ता के अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें।

12 वित्तीय देयताएं (चालू)

12.1 व्यापार प्राप्य

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (संदर्भ नोट सं. 31)	-	0.10
अन्य:		
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	0.16	1.27
(ख) संबंधित पक्ष - इरकॉन	2,534.71	4.66
कुल	**2,534.87**	**6.03**

13 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	447.71	140.66
अन्य देय (स्टाफ देय सहित)	62.91	1.19
कुल	**510.62**	**141.85**

14 13. अन्य चालू देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
क) संविदागत देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम	2,942.50	8,827.50
		-
ख) अन्य		-
सांविधिक देय	460.97	220.58
कुल	**3,403.47**	**9,048.08**

नोट

क) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य सांविधिक देयों हेतु देयता सहित सांविधिक देय ।

15 प्रचालनों से राजस्व

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु
एससीए के अंतर्गत निर्माण संविदा राजस्व (संदर्भ नोट 23)	39,283.50	31,270.32
कुल	**39,283.50**	**31,270.32**

16 अन्य आय

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु		31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि हेतु	
ब्याज आयः				
मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर अर्जित ब्याज आय	416.05		290.24	
घटाः- ग्राहकों से मोबिलाइजेश अग्रिम पर ब्याज लागत	(341.16)	74.89	(156.30)	133.94
बैंक ब्याज सकल		38.77		36.19
कुल		**113.66**		**170.13**

17 परियोजना एंव अन्य व्यय

(रूपए लाख में)

विवरण	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय	37,185.90	30,636.58	-	-
निरीक्षण भू तकनीकी अन्वेषण और सर्वेक्षण आदि	251.07	167.13	-	-
किराया - गैर आवासीय	2.73	2.29	-	-
दर एवं कर	-	0.41	-	-
बीमा	31.89	30.15	-	-
यात्रा एवं कन्वेयेंस	0.36	0.92	-	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.24	0.22	-	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	19.07	8.61	0.24	-
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	-	-	0.95	0.50
विविध व्यय	0.04	-	-	-
कुल	**37,491.30**	**30,846.31**	**1.19**	**0.50**

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू	0.80	0.40
(ख) कर लूखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.15	0.07
(ग) प्रमाणन शुल्क	-	0.03
कुल	**0.95**	**0.50**

18 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेत			31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेत		
	प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल	प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल
वेतन, परिश्रमिक और बोनस	28.71	-	28.71	17.44	-	17.44
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	2.69	-	2.69	0.39	-	0.39
सेवानिवृत्ति लाभ	2.26	-	2.26	0.91	-	0.91
कुल	**33.66**	**-**	**33.66**	**18.74**	**-**	**18.74**

19 वित्तीय लागत

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
व्याज व्यय (इरकॉन से ऋण)	1,751.41	240.19
अन्य ऋण लागत	-	-
बैंक गारंटी और अन्य प्रभार	6.99	8.78
अन्य वित्तीय देयताओं पर ब्याज व्यय (ग्राहकों से मोबिलाइजेशन अग्रिम)	-	-
कुल	**1,758.40**	**248.97**

20 मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	0.12	-
कुल	**0.12**	**-**

21 प्रति शेयर आमदनी

इंड एएस 33 "प्रति शेयर आमदनी " के अनुसार प्रकटन।

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ को विभाजित करके मूल ईपीएस की गणना की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के विलयित प्रभाव और शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या पर विचार करके किया जाता है, जिसे सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तन पर जारी किया जाता है।

(i) मूल और विलयित प्रति शेयर आमदनियां (रूपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभ (रूपए लाख में)	(ii)	77.44	214.31
मूल और विलयित ईपीएस हेतु इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(iii)	1369	638
प्रति शेयर आमदनी (मूल)		0.06	0.34
प्रति शेयर आमदनी (विलयित)		0.06	0.34
प्रति शेयर फेस मूल्य			

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभ (न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त) (रूपए लाख में) **(रूपए लाख में)**

विवरण		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष हेतु लाभ		77.44	214.31
ईपीएस के परिकलन हेतु प्रयुक्त कंपनी के इक्विटी शेयरधारों के प्रति लाभ :		**77.44**	**214.31**

(iii) इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या (डिनॉमिनेटर के रूप में प्रयुक्त) (संख्या) **(रूपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	1,040.50	0.50
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	328.77	637.59
मूल ईपीएस के परिकलन हेतु प्रयुक्त कंपनी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या :	**1,369.27**	**638.09**
विलयन प्रभाव		
जमाः वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		-
मूल ईपीएस के परिकलन हेतु प्रयुक्त कंपनी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या :	**1,369.27**	**638.09**

22: वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी संव्यवहारों का विवरण

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

(i) इरकॉन से निदेशक : श्री अशोक कुमार गोयल (11 मई 2017 से), श्री सुरजीत दत्ता (5 सितंबर 2019 से) श्री श्याम लाल गुप्ता (1 नवंबर 2019 से), श्री राजेन्द्र सिंह यादव (27 जनवरी 2020 से) एवं श्री बसंत कुमार (19 सितंबर 2019 से)।

(ii) अन्य: श्री नगनगौड़ा हनुमंथगौडा पाटिल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (18 जुलाई, 2018 से), सुश्री रचना तोमर, मुख्य वित्तीय अधिकारी (31 मार्च 2020 से) और सुश्री पूजा रस्तोगी, कंपनी सचिव (01 अप्रैल 2019 से)।

(ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक निम्नानुसार है: **(रूपए लाख में)**

क्र.सं	विवरण	31.03.2020 तक की अवधि के दौरान	31.03.2019 तक की अवधि के दौरान
1	अल्पकालीन कर्मचारी लाभ	28.71	17.44
2	नियोजन पश्चात लाभ	2.69	0.39
3	बैठक शुल्क	-	-
4	अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	2.26	0.91
कुल		33.66	18.74

(ग) वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा **(रूपए लाख में)**

संबंधित पक्ष का नाम	विवरण	संव्यवहार रूपए में		बकाया राशि	
		31.03.2020 तक की अवधि के दौरान	31.03.2019 तक की अवधि के दौरान	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक	इक्विटी में निवेश	6,000.00	10,400.00	16,405.00	10,405.00
	ऋण	13,922.00	13,000.00	26,922.00	13,000.00

कंपनी)	अन्य देय	2,534.71	4.66	2,534.71	4.66
	अन्य वसूलीयोग्य	1,382.53	7,316.98	1,382.53	7,316.98
	सेवाएं प्रदान करना				
	कार्य संविदा	37,185.90	30,636.58	-	-
	किराया	2.73	2.29	-	-
	ऋण पर ब्याज - व्यय	1,751.41	240.19	-	-
	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज-आय	416.05	290.24		
	व्यय की प्रतिपूर्ति	13.34	19.12	-	-

23: सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को परिशिष्ट "ग" के अनुसार दर्ज किया जाता है - सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एएस -**115**)। परिशिष्ट "ग" यदि लागू हो:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूति सुविधाओं के साथ कौन-सी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए उन्हें प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान किया जाएगा; तथा

ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्गत अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है, तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिक लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएचएचएल) ने दिनांक 19.06.2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके संदर्भ में रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत अभिकल्प, निर्मण, वित्तपोषण, प्रचालन तथा अंतरण (डीबीएफओटी) पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) पर किमी 260.00 से किमी 338.923 तक (लगभग 78.923 किमी) खंड सहित देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है। उक्त समझौते के संदर्भ में, आईडीएचएचएल के पास देवांगेरे हवेरी खंड के छह लेनिंग की परियोजना के निर्माण को पूरा करने और परियोजना की संपत्ति, जिनके जीवन की अवधि समाप्त हो गई है, सहित सभी परियोजनाओं संपत्ति को उचित कार्यशील स्थिति में रखने का दायित्व है । परियोजना वार्षिकी पैटर्न पर आधारित है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 15 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनडीएचएचएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी ने संविदा की शर्तों के अनुसार लक्ष्यों के पूरा होने पर एनएचएाई से प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि तक सेवा रियायत समझौते के तहत 42288.60 लाख रूपए की वित्तीय संपत्ति को स्वीकार किया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक एससीए के तहत सड़क के निर्माण पर 39283.50 लाख रुपये के राजस्व को इंड एएस के अनुसार "ग्राहकों से राजस्व" के रूप में इंड एएस-115 के तहत स्वीकार किया है। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत प्राप्य को स्वीकार किया है और इन्हें अन्य वित्तीय चालू परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है, जिसे दिनांक 31 मार्च, 2020 को लक्ष्य की समाप्ति के आधार पर संविदा की शर्तों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।

इंड एएस-115 के परिशिष्ट-घ के संदर्भ में प्रकटीकरण

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2016 में अधिसूचित अनुसार, इंड एएस-115: ग्राहकों से राजस्व में परिशिष्ट-घ में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
स्वीकृत संविदा राजस्व	39,283.50	31,270.32
वहन लागत का सकल मूल्य	39,283.50	31,270.32
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	2,942.50	8,827.50
ग्राहकों द्वारा प्रतिधारित राशि	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए निर्माण सेवा के विनिमय हेतु अवधि के दौरान स्वीकृत लाभ/(हानि)		
संविदागत कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	792.02	10,099.60

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय विवरणों के नोट

24. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय माध्यमों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनुचित)

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट

क) दिनांक 31 मार्च, 2020 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:

(रूपए लाख में)

विवरण	**वहन मूल्य**	**उचित मूल्य**		
		स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**
लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वित्तीय परिसंपतियां				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल				
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपतियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
कर मुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	42,289.92	-	-	42,289.92
कुल	**42,289.92**	-	-	**42,289.92**

(रूपए लाख में)

विवरण		उचित मूल्य		
	वहन मूल्य	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) कर्ज	26,922.00	-	-	26,922.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	510.62	-	-	510.62
कुल	**27,432.62**	**-**	**-**	**27,432.62**

ख) दिनांक 31 मार्च 2019 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

विवरण		उचित मूल्य		
	वहन मूल्य	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
कर मुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	13,427.04	-	-	13,427.04
कुल	**13,427.04**	**-**	**-**	**13,427.04**

(रूपए लाख में)

विवरण		उचित मूल्य		
	वहन मूल्य	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) कर्ज	13,000.00	-	-	13,000.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	141.85	-	-	141.85
कुल	**13,141.85**			**13,141.85**

"प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां अल्पावधि के कारण बड़े पैमाने परइन माध्यमों के अल्पकालीन परिपक्वता के कारण किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस सहमत पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में माध्यम के रूप में आदान-प्रदान किया जा सकता है। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलन पत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा कहा गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

(ii) कंपनी द्वारा ब्याज दरों, विशिष्ट देश जोखिम कारकों और अन्य जोखिम कारकों जैसे मापदंडों पर दीर्घकालिक परिवर्तनीय दर उधार का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ऐसे भुगतानों का उचित मूल्य उनकी वहन राशि से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है।

* वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2018-19 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के उचित मूल्य माप के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में कर्ज, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

i) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ख) ऋण जोखिम

कंपनी का ग्राहक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एनएचएआई है। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण पैसे शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक/निगमित गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है जो वसूली हेतु उचित ध्यान केंद्रित करता है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के प्रति कंपनी का खतरा मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है, जिसमें ग्राहक प्रचालन करता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए लाख में)

विवरण	**31-03-2020**	**31-03-2019**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा राशि का मापन किया जाता है		-

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	25,474.31	13,425.91
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
चालू निवेश	219.17	134.24
रोकड और रोकड समतुल्य	-	-
अन्य बैंक शेष	-	-
चालू ऋण	16,815.61	1.13
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां		
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा राशि का मापन		
व्यापार प्राप्त	792.02	10,099.60
संविदगत परिसंपत्तियां	-	-

सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटा प्रावधानों के मापन में परिवर्तन का सार

विवरण	**31-03-2020**	**31-03-2019**
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के लिए प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खाता राशि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा स्वीकृत घाटा प्रावधान शून्य लाख रूपए (31 मार्च, 2019 : शून्य लाख रूपए)।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा मापित घाटा प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	**31-03-2020**	**31-03-2019**
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/घाटा	-	-
समापन प्रावधान	-	-

रिपोर्टिंग अवधि को दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य लाख रूपए (31 मार्च 2019 : शून्य लाख रूपए) के घाटा प्रावधानों को स्वदीकार किया है।

ग) तरलता (नकदी) जोखिम

कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने और ऋण लाइनों की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच बनाकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता (नकदी), वित्तपोषण और निपटान संबंधी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल और तुलन पत्र तरलता अनुपात के रखरखाव पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और नीतिगत पूंजी के संरक्षण और कंपनी की तरलता आवश्यकताओं का समर्थन करती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन अपनी निवेश नीति की देखरेख करती है और अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करती है। प्रमुख हानि के संभावित जोखिम को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, नीति में आम तौर पर निवेश ग्रेड की आवश्यकता होती है।

दिनांक 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	**31 मार्च, 2020 को**		
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2 वर्ष और अधिक**
कर्ज	-	505.00	26,417.00
व्यापार प्राप्य			
अन्य वित्तीय देयताएं			

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**		
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2 वर्ष और अधिक**
कर्ज	-	-	13,000.00
व्यापार प्राप्य	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	-

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या आर्थिक विशेषताएं समान होती हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। सांद्रता किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के प्रदर्शन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक सांद्रता से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के अनुरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।
निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्वों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

विवरण	**समाप्त वर्ष हेतु**	
	31.03.2020	31.03.2019
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	39,283.50	31,270.32
	39,283.50	**31,270.32**

ग: पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी क्षमता को बनाए रखना और सुरक्षित रखने की क्षमता के रूप में अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है, ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ दे सके। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान इस प्रकार किया है: -

लाभांश :-

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
प्रदत्त लाभांश	-	-
कुल	**-**	**-**

इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

कंपनी ने अपनी धारक कंपनी से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 26,922 लाख रुपये (पिछला वर्ष 13,000 लाख रुपये) लिए हैं।

ऋण इक्विटी अनुपात:

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
कर्ज (नोट सं. 11)	26,922.00	13,000.00
दीर्घकालीन ऋण	**26,922.00**	**13,000.00**
इक्विटी (नोट सं. 9)	16,405.00	10,405.00
अन्य इक्विटी (नोट सं. 10)	354.82	277.38
कुल इक्विटी	**16,759.82**	**10,682.38**
ऋण इक्विटी अनुपात	**1.61**	**1.22**

25: आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

(I) आकस्मिक देयताएँ:

(क) ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए कंपनी के विरूद्ध दावे: शून्य रूपए (पिछला वर्ष: शून्य रूपए)।

(ख) वित्तीय गारंटी रहित गारंटी: शून्य (पिछले वर्ष : 5885.00 लाख रूपए)।

(II) आकस्मिक संपत्ति: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)।

26. प्रतिबद्धताएं:

क) संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना है (अग्रिमों का निवल) 41850.30 लाख रूपए (पिछले वर्ष 75431.37 लाख रूपए)।

ख) अन्य प्रतिबद्धताएं: शून्य रूपए (पिछले वर्ष : शून्य)।

II. खंड रिपोर्टिंग:

प्रचालनिक सेगमेंट को एक उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए पृथक वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जिसका मूल्यांकन नियमित रूप से मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) द्वारा किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए और निष्पादन का आकलन कैसे किया जाए। कंपनी का निदेशक मंडल मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) है। ऑपरेटिंग सेगमेंट को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) को निष्पादन और संसाधनों के आवंटन के लिए प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप प्रदर्शित किया गया है।

कंपनी ने भौगोलिक परिदृश्य से प्रस्तुत योग्य प्रचालन सेगमेंटों का निर्धारण किया है।

कंपनी केवल भारत में प्रचालन कर रही है, जिसे एकल भौगोलिक खंड माना जाता है, इसलिए खंड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

III. अन्य निकायों में ब्याज : शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)।

27. पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण:

क. पट्टाधारी के रूप में:

कंपनी के पट्टे की व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग और उसके मुख्य कार्यालय के लिए परिसर के संबंध में है। यह पट्टा व्यवस्था रद्द करने योग्य है और आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है, इसलिए यह इंड एएस-116 के अनुसार अल्पकालिक पट्टों में शामिल किया गया है और कंपनी नोट -17 में अन्य खर्चों के तहत अपने किराये का खर्च में दर्शाती है। वर्ष के दौरान पट्टे के भुगतान की मात्रा इस प्रकार है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए परिसर के संबंध में पट्टा भुगतान (वसूली का निवल) - शून्य रूपए (पिछला वर्ष शून्य रूपए)।

(ख) कार्यालय परिसर, गेस्टहाउस और पारगमन शिविरों के संबंध में लीज भुगतान। 2.73 लाख रूपए (पिछले वर्ष: 2.29 लाख रुपये) (नोट-17 पर परियोजना व्यय और अन्य व्ययों सहित)।

ख. पट्टाकर्ता के रूप में - शून्य रूपए (पिछला वर्ष : शून्य रूपए)।

28. परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार इंड एएस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुपालन में, कंपनी ने वर्ष की समाप्ति पर परिसंपत्तियों की हानि, यदि कोई हो की समीक्षा की है। चूंकि हानि का कोई संकेत नहीं है, वर्ष के दौरान किसी प्रकार की हानि क्षति को स्वीकार नहीं किया गया है।

29. कर्मचारी लाभों

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है।

लेखांकन नीति के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा इंड एएस-19 की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

30. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व पर इंड एएस -115 के अंतर्गत प्रकटन

(क) राजस्व से असंयोजन

प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस-115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	-	-	-	-	-	-	-
राजमार्ग	39,283.50	-	**39,283.50**	39,283.50	-	-	**39,283.50**
इलैक्ट्रिकल	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**39,283.50**	-	**39,283.50**	**39,283.50**	-	-	**39,283.50**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 39,283 लाख रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और शून्य रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	-	-	-	-	-	-	-
राजमार्ग	31,270.32		**31,270.32**	31,270.32	-	-	**31,270.32**
इलैक्ट्रिकल	-	-	-	-	-	-	-

भवन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**31,270.32**	-	**31,270.32**	**31,270.32**	-	-	**31,270.32**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 31,270.32 लाख रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और शून्य रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. कंपनी ने इंड एएस 115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुप्रयोग हेतु आशाधित पूर्वगामी परिदृश्य को अपनाया है और दिनांक 01 अप्रैल 2018 के प्रतिधारित आमदनी पर इसका शून्य प्रभाव हो।

ग. संविदा शेष:

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
व्यापार प्राप्य (नोट 6)	792.02	10,099.60
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 4 तथा 6)	42,288.60	13,425.91
संविदा दायित्व (नोट 14)	2,942.50	8,827.50

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में 45 से 60 दिनों की अवधि की ऋण अवधि सहित मासिक प्रगति भुगतान, मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	13,425.91	245.67
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	42,288.60	13,425.91
निवल वृद्धि/कमी	**28,862.69**	**13,180.24**

"वर्ष 2019-20 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में 28,862.69 लाख रूपए की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता के कारण है, जबकि किए गए कार्यों के संविदागत शर्तों के आधार पर प्रमाणित किया गया है।"

"वर्ष 2018-19 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में 13,180.24 लाख रूपए की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता के कारण है, जबकि किए गए कार्यों के संविदागत शर्तों के आधार पर प्रमाणित किया गया है।"

(iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	8,827.50	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	2,942.50	8,827.50
निवल वृद्धि/कमी	**(5,885.00)**	**8,827.50**

वर्ष 2019-20 के लिए - पिछले वर्ष की तुलना में 5,885 लाख रुपये की शुद्ध कमी हुई है जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान निष्पादित कार्यों के प्रति ग्राहक से प्राप्त अग्रिम भुगतान के समायोजन के कारण हैं।

घ. स्वीकृत राजस्व की राशि निम्नानुसार है:

(i) निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि किस प्रकार राजस्व अग्रेणीत संविदा दायित्वों के संबंध में चालू रिपोर्टिंग अवधि में स्वीकार किया जाता है:

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत देयताओं में शामिल राशि	-	-
पिछले वर्ष संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

ड. संविदाओं को प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च, 2020 तक परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य रूपए (दिनांक 31 मार्च, 2019 तक: शून्य रूपए)

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन की राशि शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2018-19: शून्य रूपए)

च. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों से संबंधित सूचना नीचे सारबद्ध है:

31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित संव्यवहार मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष के भीतर	44792.8	72,488.87
एक वर्ष से दो वर्ष तक	-	117.70
दो वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**44,792.00**	**84,258.87**

* ऊपर प्रकट राशि में परिवर्तन शामिल नहीं है, जो सीमित है।

31. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -**

(रूपए लाख में)

क्र.सं	**विवरण**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
1.	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण मूल राशि और उस पर लगने वाला ब्याज किसी भी मूल राशि के लिए बकाया नहीं है। उपर्युक्त पर ब्याज	-	0.10
2.	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	-	-
3.	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु र्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
4.	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;	-	-
5.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	-	-

32. इंड एएस 1 “वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण” द्वारा यथापेक्षित प्रकटन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में 'पट्टों' की नीति को इंड एएस-116 "पट्टे" की अनुप्रयोग्यता के कारण संशोधित किया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से इंड एएस 116 को अधिसूचित किया गया था, जो इंड एएस -17 को प्रतिस्थापित करता है। इंड एएस-116 पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है और और पट्टादाताओं के लिए अपेक्षित है कि वे तुलन पत्र में अधिकांश पट्टों को स्वीकृति प्रदान करें।

कंपनी ने दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के प्रारंभिक आवेदन की तारीख से अधिग्रहण की संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए इंड एएस-116 को स्वीकार किया है। इस पद्धति के तहत, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख में स्वीकृत मानकों को लागू करने के लिए पूर्वव्यापी विधि का प्रयोग किया जाता है। कंपनी ने पारगमन पद्धति का प्रयोग यह पुन:आकलन करने के लिए नहीं किया है कि क्या संविदा दिनांक 01 अप्रैल 2019 को है या संविदा पट्टा इस तिथि को है। इसके बजाय, कंपनी ने केवल उन संविदाओं के लिए मानकों को लागू किया है, जिन्हें पहले इंड एएस-17 के प्रयोग द्वारा पट्टों के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ने आरंभिक आवेदन की तिथि से 12 महीनों के भीतर समाप्त होने वाले और 12 महीनों से कमी की पट्टा अवधि वाले पट्टों सहित पट्टों के लिए अल्पकालीन पट्टा छूट हेत आवेदन किया है। कंपनी के पास अपने कार्यालय के लिए पट्टे अनुबंध हैं, जो पट्टेदार और पट्टधारी दोनों द्वारा रद्द किया गया है, इसलिए यह अल्पावधि पट्टों के तहत शामिल किया गया है और इंड एएस-116 के अधिग्रहण के कारण कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

33. चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय विवरणों में मोबिलाइजेशन अग्रिम और मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज लागत से अर्जित आय की प्रस्तुति के संबंध में राय प्राप्त की है। इंड एएस-1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" लेखांकन प्रयोजनों हेतु इन दोनों हितों निरस्त करने की अनुमति प्रदान की है क्योंकि यह संव्यवहार के प्रयोजन को प्रदर्शित करता है। इस मत के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में मोबिलाइजेशन अग्रिम से अर्जित ब्याज आय से मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज व्यय को समायोजित किया गया है और तुलनात्मक आंकड़ों को परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने परियोजना की अनुमानित लागत की गणना एनएचएआई के लिए अग्रिम भुगतान पर ब्याज भुगतान पर विचार किए बिना की है और तदनुसार राजस्व की गणना की गई है। चूँकि यह अनुमान और प्रस्तुति का विषय है, इसलिए इन ब्याज आय के लेखांकन के लिए लेखांकन नीति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

34. कोविड-19 प्रकटन

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिनांक 11 मार्च 2020 को नोवेल कोरोनावायरस (कोविड–19) को वैश्विक महामारी घोषित की है। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च 2020 को देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की थी और गैर–अनिवार्य व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करने, वस्तुओं और सेवाओं के संचलन, यात्रा आदि में प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे।

समूह द्वारा निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति गैर अनिवार्य श्रेणी में आती है, जिसके कारण समूह को केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन अनुदेशों के अनुपालन में अपने सभी चालू प्रचालन परियोजनाओ ंको अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण परियोजना निष्पादन, आपूर्ति श्रृंखला अवरोध 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन के दौरान कार्मिकों की अनुपलब्धता के रूप में समूह के सामान्य प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा था।

केन्द्रीय और राज्य सरकार ने लॉकडाउन को समाप्त करने के लिए कदम उठाने आरंभ किए हैं और समूह इसका अनुपालन कर रही है, चूंकि समूह ने उपलबध संसाधनों के आधार पर अपनी गतिविधियों को आरंभ कर दिया है। समूह धीरे धीरे मई के आरंभ से विभिन्न परियोजना स्स्थलों पर अपने प्रचालनों को आरंभ करने में सक्षम हुई है। समूह ने अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थता को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पूर्वोपाय किए हैं और कोविड–19 के प्रसार के निवारण के लिए एसओवी निर्धारित की है तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। समूह को आशा है कि धीरे धीरे प्रवासी श्रमिकों के कार्य पर वापसआने से लॉकडाउनके पूर्व की स्थिति जैसी सामान्यता प्राप्त होने पर निर्माण कार्य अपने इष्टतम स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही साथ समूह आगे कि निर्माण कार्यों के गति लााने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नत प्रयोगों का भी दोहन कर रही है।

वित्तीय निष्पादन

समूह विश्वास करती है कि चूंकि अभी तक कोविड–19 महामारी का राजस्व और लाभप्रदत्ता की दृष्टि से समूह के वित्तीय निष्पादन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि समूह ने चालू वर्ष में अपने निर्धारित राजस्व को रिकार्ड किया है।

तरलता (नकदी)

समूह के पास अपने प्रचालन के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है।

समूह को आशा है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में समूह परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश परिसंपत्तियों, अमूर्त परिसंपत्तियों, प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों, दरसूची, अग्रिमों, व्यापार प्राप्यों, आस्थगित करों, अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों आदि सहित अपनी सभी परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को वसूल कर लेगी।

सुगम प्रचालन हेतु किए गए उपाय

लॉकडाउन अवधि के दौरान, समूह ने कोविड–19 लॉकडाउन के पश्चात व्यवहास हेतु नए सामान्य स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। समूह के गैर–महत्वपूर्ण स्थलों पर कार्य करने के लिए समूह सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से कार्य की शर्तों और रोस्टर को सुचारू बना रही है। इसके अतिरिक्त, समूह ने निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए कोविड–19 के संबंध में कड़ी मॉनीटिरिंग प्रक्रियों को स्थापित किया है:

¼1½ सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग

¼2½ नियमित आधार पर परिसरों और वाहनों का सेनिटाइजेशन

¼3½ सभी कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी का अनुरक्षण

¼4½ मास्क पहनने और नियमित रूप से हाथों को धोने की प्रक्रिया को लागू करना

¼5½ सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का नियमित स्वास्थ्य जांच

¼6½ अपने सभी कर्मचारियों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

कोविड–19 के भावी प्रभाव का आकलन

परियोजना का कार्य आरंभ होने के साथ, समूह नियमित रूप से अपने प्रचालनों की समीक्षा कर रही है और इस महामारी के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई करने के हर संभाव प्रयास कर रह है। हालांकि प्रबंधन को संभावना है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व और लाभप्रदत्ता में कमी होगी, समय समयस पर लॉकडाउन अवरोध के प्रभाव का आंकलन किया जा रहा है और इसकी सूचना राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों और स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दी जाएगी चूंकि हम वर्तमान स्थिति में आगे बढ रहे हैं। इसलिए इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ इसके भावी प्रभावों का पूर्वानुमान संभव नही हैं।

वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव अनुमानों से भिन्न हो सकता है, क्योंकि कोविड–19 की स्थिति भारत और विश्व में फैली हुई है। तथापि, समूह भावी आर्थिक स्थितियों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की गहन निगरानी जारी रखेगी।

35. कतिपय पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरणों के साथ समरूपता के लिए पुनवर्गीकृत कियागया है। इन पुनर्वर्गीकरणों के कारण प्रचालनों के रिपोर्टिड परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष को आंकड़ों को प्रकोष्ठ () में रखा गया है ताकि वर्तमान आंकड़ों से उनकी भिन्नता को सुनिश्चित किया जा सके।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 008030एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
सीए सुनिल सिंघल	**श्याम लाल गुप्त**	**राजेन्द्र सिंह यादव**	**सुरजीत दत्ता**
साझेदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 086904	**डीआईएन: 07598920**	**डीआईएन: 07752915**	**डीआईएन: 06687032**

	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**नगनगैडा हनुमंथगैडा**	**रचना तोमर**	**पूजा रस्तोगी**
दिनांक: 24.06.2020	**पाटिल**	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**कंपनी सचिव**
यूडीआईएन:20086904AAAAHR4699	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**		

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.06.2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों तक सीमित है औरयह कुल लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो मेरे संज्ञान में आए और जो मेरे विचार से इन वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा के बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।	**दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां पर प्रबंधन का उत्तर**
रोकड़ प्रवाह पर टिप्पणियां	
1. दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी सं. बी (ii) के लिए संदर्भ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन का प्रकटन निवेश गतिविधियों से 'रोकड प्रवाह' के तहत करने के स्थान पर कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के समायोजन में किया गया था। कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्यशील पूंजी परिवर्तन (12048.40 लाख रूपए की राशि) को पुन: इंड एएस-7 के पैरा-16 के अंतर्गत यथापेक्षित निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह के तहत प्रदर्शित करने के स्थान पर प्रचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह के तहत दर्शाया है।	कंपनी अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह प्रस्तुत कर रही है। इंड एएस-7 **(अनुबंध- ख)** के पैरा 18 के अनुसार, एक इकाई प्रचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह को निम्नलिखित में से किसी में प्रस्तुत करेगी: (क) प्रत्यक्ष विधि, जिसमें सकल नकद प्राप्तियों और सकल नकद भुगतान के प्रमुख वर्गों का प्रकटन किया जाता है; या (ख) अप्रत्यक्ष विधि, जिससे लाभ या हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है, अतीत या भविष्य के प्रचालनिक रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों, और निवेश या वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की वस्तुओं के किसी भी अवहेलना या संचयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों (प्राप्य) के तहत कोई प्राप्तियां नहीं थी। इसलिए, इसने इंड-7 के पैरा 18 के अनुसार एक गैर-रोकड़ प्रकृति के लेनदेन का प्रतिनिधित्व किया और कार्यशील पूंजी परिवर्तन के तहत प्रचालनिक गतिविधियों के तहत प्रकटन की आवश्यकता थी और कंपनी ने तदनुसार कार्यशील पूंजी परिवर्तन के तहत प्रकटन किया। इसके अतिरिक्त, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में सलाहकार से राय ली गई और उसी के अनुसार इसका समाधान किया गया।

2. ग्राहकों से मोबिलाइजेशन अग्रिम पर 341.16 लाख रूपए की संचित ब्याज (देय) राशि जो गैर-रोकड मद है, को रोकड़ प्रवाह विवरण का भाग नहीं होना चाहिए। हालाँकि, कंपनी ने इसे 'प्रचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रावह' में शामिल किया है, जो इंड एएस-07 'रोकड़ प्रवाह विवरण' के पैरा 43 का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप, 341.16 लाख रूपए की राशि का प्रचालनिक गतिविधियों से 'रोकड़ प्रावह' अतिविवरण और वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में निम्नविवरण प्रस्तुत हुआ है।	इंड एएस-7 (अनुबंध-ग) के पैरा 20 के अनुसार, अप्रत्यक्ष विधि के तहत, प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह के प्रभावों के लिए लाभ या हानि के समायोजन द्वारा निर्धारित किया जाता है: (क) अवधि के दौरान दरसूची और प्रचालनिक प्राप्तियों और भुगतानों में परिवर्तन। (ख) गैर-रोकड़ मदों जैसे मूल्यह्रास, प्रावधान, आस्थगित कर, वसूली न किए गए विदेशी मुद्रा लाभ और हानि, और सहयोगियों का निर्विवाद लाभ; तथा (ग) अन्य सभी मदें जिनके लिए रोकड़ प्रभाव निवेश किया गया या रोकड़ प्रवाह वित्तपोषण किया गया है। पैरा 20 (ख) के अनुसार ब्याज गैर रोकड़ मद को दर्शाता है और इसे प्रचालनिग गतिविधियों से समायोजित करने की आवश्यकता होती है अन्यथा यह प्रचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में अतिविवरण प्रस्तुत कर सकता है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-
(के.एस.रामूवालिया)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्यिक, नई दिल्ली

कृते एवं की ओर से
निदेशक

ह/-
(सुरजीत दत्ता)
निदेशक
डिन-06687032

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

('इरकॉनडीएचएचएल')

पंजीकृत और निगमित कार्यालय :

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: +91-11-29565666 | फैक्स: +91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी: ircondhhl@gmail.com